



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भा.रि.बैं लखनऊ

ऑफ-ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 KWp X 03 No's & 03 KWp X 02 No's) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना,
परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ फ्लार्टर, अलीगंज, लखनऊ हेतु ई-निविदा

भाग - I

भा.रि.बैं/लखनऊ/संपदा/212/22-23/ईटी/323

फर्म का नाम: _____

पता: _____

ईमेल: _____ टेलीफोन: _____

संपर्क व्यक्ति का नाम:

मोबाइल नंबर:

ईमेल:

प्री-बिड मीटिंग की तिथि: 26.09.2022 को 11:00 बजे।

ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 12.10.2022 को 14:00 बजे।

नोट: यह एक-ई निविदा है। इसलिए, हस्ताक्षरित और स्कैन किए गए भाग-I को एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। भाग-II/दरें सीधे एमएसटीसी साइट पर भरी जाएंगी।

बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकर्ता का अर्थ है जो निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाओं का अर्थ है जो निविदा के भाग-I और भाग-II का मूल्यांकन करने के बाद सबसे कम दरों को उद्धृत करता है।

निविदा की अनुसूची

ए. ई-निविदा संख्या	अरबीआई/लखनऊ/एस्टेट/212/22-23/ईटी/323
बी. कार्य का नाम	ऑफ-ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 KWp X 03 No's & 03 KWp X 02 No's) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्लार्टर, अलीगंज, लखनऊ हेतु ई-निविदा
सी. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से) -ई-निविदा के संबंध में निर्देश अनुबंध-I के रूप में प्रदान किए गए हैं।
डी. पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	20.09.2022 को 14:00 बजे
इ. बयाना राशि	₹19,500/- प्रत्येक बोली लगाने वाले से
एफ. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि।	12.10.2022 को 14:00 बजे
जी. प्री-बिड मीटिंग	संपदा विभाग, तीसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में 26.09.2022 को 11:00 बजे ऑफलाइन।
www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	20.09.2022 को 14:00 बजे
आई. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि।	12.10.2022 को 14:00 बजे
जे. निविदा खुलने की तिथि एवं समय	निविदा का भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) 12.10.2022 को 15:00 बजे खोला जाएगा यदि बोलीदाताओं द्वारा कोई विशेष शर्तें नहीं रखी जाती हैं, तो निविदा का भाग- II (मूल्य बोली) भी उसी दिन खोला जाएगा या अन्यथा भाग II -(मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोली जाएगी जिसकी सूचना बोलीदाताओं को दी जाएगी।
के. लेनदेन शुल्क	लेनदेन शुल्क का भुगतान जैसा कि एमएसटीसी पोर्टल में एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उल्लेख किया गया है।

खंड- ।
निविदा का प्रपत्र

स्थान _____
तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ-226010

महोदय,

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की स्थापना स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित में निर्देशों के अनुसार सभी तरह से निष्पादित करने की पेशकश करते हैं। अनुबंध के करार में, निविदाकारों को विशेष निर्देश, निविदाकारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, इससे पहले निर्दिष्ट शर्तें, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ऐसी शर्तें के अनुसार और अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं।

ज्ञापन

(ए)	Description of works	आरबीआई स्टाफ क्लार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 केडब्ल्यूपी x 03 नंबर और 03 केडब्ल्यूपी x 02 नंबर) की डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन ट्रेस्टिंग एंड कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)
(बी)	अनुमानित पूंजी लागत	₹9.75 लाख जीएसटी सहित
(सी)	भुगतान का माध्यम	एमएसटीसी के माध्यम से ऑनलाइन
(डी)	बयाना राशि	₹19,500/- लाभार्थी का नाम: आरबीआई लखनऊ। IFSC: RBIS0LKPA01 (0=शून्य) खाता संख्या: 186003001
(ई)	कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमत समय	कायदिश की तिथि के दसवें दिन से 03 माह।
(एफ)	भुगतान शर्तें और प्रतिभूति जमा/निष्पादन बैंक गारंटी	खंड 3.32 . के अनुसार

1. हम भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बैंक और हमारे बीच लिखित रूप से सहमति हो। हम निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधिके दौरान बयान राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
2. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों को जब्त करने और भुगतान करने के लिए, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्ति ऐसी धनराशि जो निविदा में निहित शर्तों के साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निर्धारित की गई है।
3. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या अंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के पास बयान राशि के रूप में ₹19,500/- की राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
4. एमएसटीसी पोर्टल में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और तकनीकी विनिर्देश शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य शामिल हैं।

दिनांक _____ 2022 का _____ दिन

मैसर्स के लिए और उनकी ओर से

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम

पद:

स्थान

दिनांक

उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की
जानी चाहिए।

गवाहों

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

आरबीआई स्टाफ क्लार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 केडब्ल्यूपी x 03 नंबर और 03 केडब्ल्यूपी x 02 नंबर) की डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

खंड (II)

ठेकेदारों और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट के डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के काम के लिए मूल उपकरण निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों / इंटीग्रेटर्स से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदाएं जिसमें निविदा के भाग । और भाग II दोनों विशिष्टताओं के विवरण भरे हुए हैं, उन्हें आरबीआई पोर्टल के तहत एमएसटीसी की वेबसाइट पर 12.10.2022 के 14:00 बजे अपलोड किया जाना। केवल वे ओईएम/अधिकृत डीलर/पात्र फर्म/सोलर प्लांट इंटीग्रेटर्स, जिनके पास कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक एस्टेट में ग्रिड/ऑफ ग्रिड प्लांट पर सौर जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (30 जून, 2022 तक) है। /औद्योगिक घरानों/सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

और

पिछले 05 वर्षों (30 जून, 2017 को या उसके बाद पूर्ण किए गए कार्य) के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिसकी लागत निम्नानुसार है:

(ए) तीन काम प्रत्येक की लागत काम की अनुमानित लागत के 40% से कम न हो

या

(बी) दो कार्य प्रत्येक की लागत कार्य की अनुमानित लागत के 50% से कम न हो

या

(सी) एक काम की लागत काम की अनुमानित लागत के 80% से कम न हो

तथा

(डी) पिछले 03 वर्षों के दौरान 10.00 लाख रुपये के 100% का न्यूनतम वार्षिक कारोबार करें

तथा

(ई) बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए लखनऊ/कानपुर (अनिवार्य) में स्थापित एक सेवा है।

विदाकारों को अपनी पात्रता को पूरा करने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को उपयुक्त फ़ाइल नामों के साथ अपलोड करना चाहिए जैसा कि दर्शाया गया है।

क) अनुभव को इंगित करने के लिए कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां। पात्रता के उद्देश्य से कार्य आदेश केवल भाग लेने वाली फर्म के नाम पर होना चाहिए।

बी) अनुबंध के प्रारूप में सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची।

सी) क्लालीफाइंग कार्यों के लिए अनुबंध 'बी' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ग्राहकों से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र और यदि ग्राहक निजी फर्म है तो टीडीएस के लिए प्रमाण।

डी) ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण।

ई) अनुबंध के अनुसार बैंकर / सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट।

एफ) पिछले 3 वर्षों के कारोबार के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

जी) सेवा सेटअप के अस्तित्व के प्रमाण के साथ सेवा सेटअप का विवरण- अनुलग्नक के प्रारूप में।

एच) उपकरण के विवरण/कैटलॉग और निर्दिष्ट वस्तु के निर्माताओं के नाम।

आई) निविदा दस्तावेज (हस्ताक्षरित और मुद्रांकित) के भाग I की स्कैन की गई प्रति को एमएसटीसी साइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

नोट (ग्राहक प्रमाणपत्र के संबंध में):

- सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रमाण पत्र पर संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष या उच्च पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य विभागों के संबंध में ऊपर वर्णित प्रमाण पत्रों के अलावा निष्पादित कार्य से संबंधित भुगतान से मेल खाने वाले टीडीएस प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाएंगे।

उपरोक्तानुसार अर्हता प्राप्त करने वाले केवल निविदाकर्ता ही कार्य के लिए निविदा के पात्र होंगे। एक फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती है, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

2. **प्री-बिड मीटिंग:** - निविदा के बारे में किसी भी बात पर चर्चा/स्पष्टीकरण करने के लिए संपदा विभाग, तीसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में _____ को 11:00 बजे पूर्व-बोली बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकारों को उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है। स्पष्टीकरण निविदा में शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, देखें।

3.1 स्पष्टीकरण:

3.2 निविदाकर्ताओं को नाम और संपर्क नंबर के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। संलग्न प्रारूप में उपकरण के उपयोगकर्ताओं की। एक फर्म द्वारा प्रस्तुत एक निविदा जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करती पाई जाती है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.3 विक्रेताओं से जीएसटी, अन्य करों, शुल्कों, परिवहन आदि के साथ सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए दर उद्धृत करने का अनुरोध किया जाता है। विक्रेताओं से जीएसटी, टीसीएस आदि जैसे सभी करों सहित सकारात्मक संख्या में दरों को उद्धृत करने का अनुरोध किया जाता है। इस प्रकार जीएसटी और अन्य लागू करों सहित सिस्टम में दिखाई गई अंतिम कुल राशि अंतिम बोली राशि होगी। निविदा खुलने के उपरान्त कोट की गई दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 3.4 उपरोक्तानुसार अहंता प्राप्त करने वाले केवल निविदाकर्ता ही कार्य के लिए निविदा के पात्र होंगे। एक फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती है, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।
- 3.5 रुपये 9,500/(उन्नीस हजार पाँच सौ रुपये मात्रकी राशि के लिए बयाना जमा भारतीय रिजर्व बैंक के (बैंक खाते में _____, 2022 को _____ बजे या उससे पहले जमा किया जाएगा। - ईएमडी" ईएमडी जमा करते समय टिप्पणी के रूप में दिया जाना चाहिए। "हाइब्रिड सोलर प्लांट-एस्टेट विभाग आरटीजीएस लेनदेन / एनईएफटीके लिए खाते का विवरण इस प्रकार है। लाभार्थी का नाम :RBI लखनऊ, IFSC: RBIS0LKPA01 (0 = शून्य(, खाता संख्या :186003001। edLucknow@rbi.org.in पर लेनदेन विवरण को सूचित अग्रेषित करें।
- 3.6 लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ईएमडी किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ के पक्ष में या किसी अनुसूचित बैंक से 6 महीने की अवधि के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में भी जमा किया जाएगा। ऐसी ईएमडी के साथ न होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल विक्रेता की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता को (विक्रेताओं) वापस कर दी जाएगी।/कार्य प्रदान करने के बाद वापस
- 3.7 बैंक से उसकी उनकी/निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा (अनुबंध पर समझौते का मसौदा लेख), लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
- 3.8 शर्तों की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में और दोष देयता अवधि की बाध्यता और उसके बाद उपकरण के पूरे जीवन चक्र के लिए सेवा अनुबंध, सफल निविदाकर्ता बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। खंड 3.32 देखें।

- 3.9 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और प्रतिभूति जमा से काटा जा सकता है यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो जाए, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर इस प्रकार की कटौती की गई राशि को नकद में अच्छा कर देगा।
- 3.10 निविदाकारों को इस निविदा में शामिल प्रोफार्मा के अनुसार पिछले 05 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए पात्र समान कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। बैंक एक या सभी कार्यों का निरीक्षण करेगा और निविदाओं के भाग II को खोलने से पहले प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सहित स्थापित उपकरणों के प्रदर्शन के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। इसके बाद, बैंक अपने विवेक से किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए विचार या अस्वीकार कर देगा।
- 3.11 ठेकेदार सभी कार्यों को तकनीकी विनिर्देश और कार्य के दायरे, बैंक के इंजीनियर के विवरण और निर्देशों के अनुसार सख्ती से करेगा।
- 3.12 उद्धृत दरें दृढ़ होंगी और श्रम, परिवहन में विनिमय भिन्नता में बदलाव के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूर्ण कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा, अर्थात् उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना और इसमें निर्दिष्ट साइट पर सेवा करजीएसटी को छोड़कर/ सभी करों, कर्तव्यों, लेवी, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथसाथ कामगार मुआवजे और तृतीय पक्ष देयता - नीतियों, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उपकरण, यदि आयात करने की आवश्यकता है, को ठेकेदारों के स्वयं के आयात लाइसेंस के विरुद्ध आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी भुगतान लखनऊ में किए जाएंगे और केवल भारतीय रूपये में होंगे।
- 3.13 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे मात्रा की अनुसूची के अनुसार कड़ाई से बोली लगाएं। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित होती है। ठेकेदार को यह नोट करना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो कि निविदा पूरी तरह से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की दरें सही, व्यावहारिक होनी चाहिए। मात्रा की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को दर्शाती है लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और साइट की

स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर पूरी तरह से बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है और इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल सकता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 3.14 जहां तक बैंक को स्वीकार्य उपकरण बनाने का संबंध है, निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे अनुमोदित सामग्री उपकरणों की सूची देखें। निविदाकारों को सलाह दी/जाती है कि वे विनिर्देशों के अनुरूप और जो सबसे किफायती है, अनुमोदित सूची के निर्माण के लिए उद्धरण दें। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक उपकरणों के साथ बोली न लगाएं। निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए उपकरणों के घटकों की सूची के साथ पूर्ण तकनीकी और निर्माण संबंधी विवरण देने वाले पत्रकसाहित्य / संलग्न होंगे।
- 3.15 The निविदाकर्ता को अपने स्वयं के उत्तरदायित्व पर और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी जो निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और ड्राइंग की जांच करनी चाहिए और कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित करना चाहिए।

3.16 Warranty/ Defects Liability Period.

3.16.1 (ए) पूरी प्रणाली को किसी भी निर्माण/डिजाइन/स्थापना दोष आदि के बदले न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए वारंट किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, सिस्टम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने के 2 दिनों के भीतर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुधार किया जाएगा।

(बी) इस अवधि के दौरान सिस्टम के सुचारू संचालन और सेवाक्षमता के लिए आवश्यक सभी पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों और पुर्जों की आपूर्ति और प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में ठेकेदार दैनिक रखरखाव/ब्रेकडाउन रखरखाव के दौरान दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त हिस्से के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त स्पेयर/उपभोग्य सामग्रियों को बनाए रखेगा। इन पुर्जों और किसी भी अन्य पुर्जों की लागत जो रखरखाव के दौरान आवश्यक हो सकती है, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में शामिल मानी जाती है। सेवा की आवधिकता मौसम की स्थिति के आधार पर द्विमासिक या अधिक होगी।

3.17 डीएलपी के दौरान गलती के सुधार में देरी के लिए जुर्माना:

यदि डीएलपी अवधि के दौरान 2 दिनों की अवधि के भीतर सिस्टम में खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो वार्षिक रखरखाव शुल्क के अधिकतम 10% के अधीन 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना होगा। डीएलपी के दौरान कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी देय राशि या बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा। सौर ऊर्जा प्रणालियों / प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले पीवी मॉड्यूल को उनकी आउटपुट पीक वाट क्षमता के लिए वारंट किया जाना चाहिए, जो कि 10 वर्षों के अंत में 90% और 25 वर्षों के अंत में 80% से कम नहीं होना चाहिए।

3.18. डीएलपी अवधि के बाद व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध (सीएएमएससी)

(ए) निविदाकर्ता मात्राओं की अनुसूची के अनुसार पूर्ण प्रणाली की व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के लिए अपने शुल्क अलग से उद्धृत करेंगे जो कि दोष देयता अवधि (डीएलपी) के 01 वर्ष के बाद लागू होंगे। दरों में उपरोक्त कार्य करने के लिए कामगारों के बीमा के लिए प्रभार और बीओक्यू में संबंधित कॉलम में जीएसटी भी शामिल होगा।

(ब) सिस्टम का समय-समय पर निरीक्षण, रखरखाव/सेवा/साफ किया जाएगा। मौसम की स्थिति के आधार पर आवधिकता द्विमासिक या अधिक होगी।

(सी) व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के शुल्क में सेवा अनुबंध अवधि के दौरान सभी आवश्यक पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों आदि सहित सिस्टम के किसी भी हिस्से को बदलना शामिल होगा। एएमसी अवधि के भीतर सिस्टम/सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुधारा/बदल दिया जाएगा।

(द) सीएएमएस के दौरान सुधार में देरी के लिए जुर्माना:::

During the व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अवधि (डीएलपी अवधि के बाद) के दौरान, सिस्टम में किसी भी खराबी को सिस्टम में खराबी की सूचना प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर ठीक किया जाएगा। इसलिए, उद्धृत दरों में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों को ध्यान में रखा जाएगा। ऊपर बताए गए अनुसार एएमसी अवधि के दौरान 2 दिनों की अवधि के भीतर सिस्टम में खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो वार्षिक रखरखाव शुल्क के अधिकतम 10% के अधीन 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना होगा।

डीएलपी के दौरान कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी देय राशि या बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा।

(e) पक वार्षिक रखरखाव सेवा (सीएएमएस) के दौरान सेवा शुल्क का भुगतान:

सीएमएस अवधि के दौरान भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(बी) सेवा अनुबंध एक वर्ष की वारंटी के बाद एक वर्ष की प्रारंभिक वार्षिक सेवा संपर्क अवधि के बाद कम से कम 08 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। अनुबंध का नवीनीकरण करते समय नई अनुबंध राशि निम्न सूत्र के आधार पर निकाली जाएगी:

$\text{एसी} = \text{एपी} \left(15 + 60 \times \frac{\text{ईपीआईसी}}{\text{ईपीआईपी}} + 25 \times \frac{\text{सीपीआईसी}}{\text{सीपीआईपी}} \right) \times 1/100$	
एसी	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि.
एपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध राशि
ईपीआईसी	विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक चालू वर्ष के लिए अनुबंध शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।
ईपीआईपी	व्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले।
सीपीआईसी	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) चालू वर्ष के लिए अनुबंध शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।
सीपीआईपी	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले।

सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक करार करेगा।

3.19 पैकिंग और प्रेषण

भारतीय परिस्थितियों में उपकरण उचित रूप से और सुरक्षित रूप से बक्सों में पैक किए जाने चाहिए और समुद्र/हवाई/रेल/सड़क द्वारा कई हैंडलिंग और परिवहन किए जाने चाहिए। सभी उपकरण/घटक बैंक के कार्यालय भवन, लखनऊ में सुपुर्द किए जाएंगे।

3.20 अनुबंध करार पर हस्ताक्षर

निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें यहां अनुबंध की शर्तों के लिए संदर्भित हैं और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देश और ड्राइंग, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए

पत्राचार और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होगा।

3.20.1 निविदाकार इसके साथ अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को पढ़ेगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से परिचित होने के लिए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

3.20.2 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है अन्यथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.20.3 अपने निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मसौदा करार के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिजर्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

3.20.4 ठेकेदार ठेका नहीं देगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने पर लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जहां ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा प्रतिभूति जमा जब्त कर लिया जाएगा।

3.21 मात्रा की अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची और / या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट माना जाएगा जो दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल किया जाएगा।

3.21.1 मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को दर्शाती है लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ा जा सकता है इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल सकता है।

3.22 भाषा

ड्राइंग, दस्तावेज़, कैटलॉग आदि में सभी लेबल सहित निविदा अंग्रेजी में होगी।

3.23 भाग निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक के पास निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.24 निविदा का मूल्यांकन

निविदाओं का मूल्यांकन प्रणाली की पूंजीगत लागत के आधार पर और एक वर्ष के डीएलपी के साथ 10 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा शुल्क (सीएएमएससी) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसलिए, निविदाओं का मूल्यांकन 10 वर्षों के लिए कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार निकाला जाएगा:

कुल स्वामित्व लागत = उद्धृत पूंजी लागत + 9 वर्षों के लिए सेवा अनुबंध शुल्क का एनपीवी = उद्धृत पूंजी लागत + प्रति वर्ष व्यापक रखरखाव सेवा अनुबंध के लिए उद्धृत शुल्क \times गुणा कारक (एमएफ)

(MF = 7.0476)

सेवा अनुबंध शुल्क के एनपीवी की गणना के लिए, निम्नलिखित कारकों को लागू किया गया है:

(ए)	वृद्धि (बढ़त)	5% प्रति वर्ष
(बी)	डिस्काउंट फैक्टर	8% प्रति वर्ष
(सी)	अनुबंध की अवधि	सिस्टम सौंपे जाने की तिथि से 10 वर्ष
(डी)	वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए भुगतान की शर्तें।	सेवा के संतोषजनक समापन के बाद अर्धवार्षिक भुगतान

व्यापक एएमसी के लिए न्यूनतम आधार दर

टीसीओ की गणना के लिए व्यापक एएमसी के लिए न्यूनतम आधार दर:: यदि निविदाकार व्यापक एएमसी के लिए उद्धृत पूंजी लागत के 4% (पांच) से कम दरों को उद्धृत करता है, तो स्वामित्व की कुल लागत की गणना के लिए उद्धृत पूंजी लागत के 4% (पांच) को एएमसी के रूप में माना जाएगा।

नोट: उपरोक्त के बावजूद, बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान निविदा में दर्शाए गए नवीनीकरण फॉर्मूले के अधीन एएमसी की केवल उद्धृत दर का ही भुगतान करेगा।

3.25 प्रेषण पूर्व निरीक्षण

उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, उपकरण का बैंक के विवेक पर निरीक्षण किया जाएगा और निर्माता की साइट पर बैंक के इंजीनियरों द्वारा विभिन्न मानकों के लिए परीक्षण किया जाएगा और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि, यह किसी भी तरह से दोष दायित्व की अवधि के दौरान निर्दिष्ट साइट पर निर्माण और कमीशनिंग के बाद सिस्टम / घटकों के निरंतर प्रदर्शन के लिए ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी के लिए माफी नहीं होगी।

3.26 बीमा

ठेकेदार कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर बैंक को सिस्टम सौंपे जाने तक, बैंक के संयुक्त नामों से, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए कारखाने से हमारी साइट पर सिस्टम को अपनी लागत पर भेजने से पहले सभी बीमा लेगा, काम शुरू करने से पहले बैंक का नाम सबसे पहले और ठेकेदार होने के नाते और इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:

1. ठेकेदार सभी जोखिम (सीएआर) बीमा जिसमें पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए भंडारण, परीक्षण और कमीशन नीति शामिल है।
2. कामगार मुआवजा नीति।
3. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, जिसकी सीमा नीचे दी गई है।
 - (ए) ₹ 10,00,000/- प्रति वर्ष
 - (बी) ₹. 2,00,000/- प्रति घटना

3.27 निविदा के साथ लीफलेट/साहित्य के साथ प्रस्तुत किए गए उपकरणों के घटकों के संपूर्ण तकनीकी और निर्माण संबंधी विवरण दिए जाने चाहिए। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पहले प्रतिष्ठानों की साइट पर जाएं और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित कर लें। निविदाकारों को विशेष होना चाहिए और केवल तभी टिप्पणी देनी चाहिए जब उनकी प्रणाली बैंक के विस्तृत विनिर्देशों/विशेषताओं से किसी भी तरह से भिन्न हो। संपूर्ण प्रणाली और व्यक्तिगत घटकों के कामकाज का एक लेख भी संलग्न किया जाएगा। सफल निविदाकार, कार्य पूरा होने पर, योजनाबद्ध और लेआउट ड्राइंग और रखरखाव नियमावली के तीन सेट प्रस्तुत करेगा।

3.28 ज्ञापन और खंड-1। में उल्लिखित कार्य करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और इसे काम शुरू करने के लिखित आदेश के 14 वें दिन से माना जाएगा। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो वह भाग। के खंड। में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार काम शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

3.29 ठेकेदार काम शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, देरी का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य

या किसी भी कार्य में संशोधनों से उत्पन्न होने वाली देरी शामिल है। इसके साथ जुड़े उप-अनुबंध या परियोजना के अन्य व्यवसायों के लिए अनुबंध देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकारी नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में या निर्माण उद्देश्यों के लिए पानी और विजली कनेक्शन प्राप्त करने में या किसी भी अन्य कारण से देरी और नियोक्ता इसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, इस तरह के बदलावों के अधीन जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

3.30 अस्वीकृति का परिणामः: यदि उपकरण या उपकरण या उसके हिस्से पर, बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकार किए जाने पर, ठेकेदार संतोषजनक आपूर्ति करने में विफल रहता है या इस प्रकार निष्पादित दोषपूर्ण कार्य को डिलीवरी/पूर्णता अवधि की निर्धारित अवधि के भीतर सुधारने में विफल रहता है, तो बैंक निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:

- i) ठेकेदार को अस्वीकृत किए गए उपकरणों या पुर्जों के प्रतिस्थापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, ठेकेदार को माल ढुलाई की लागत, यदि कोई हो, को फिर से जमा करने की अनुमति दें, इस तरह के प्रतिस्थापन पर उस खाते पर किसी भी अतिरिक्त भुगतान के हकदार होने के बिना; या
- ii) उपकरण या अस्वीकृत पुर्जों या समान विवरण के अन्य भागों की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन या अधिकृत करना (जब उपकरण या पुर्जे विल्कुल विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले बैंक की राय में नहीं हैं जो अंतिम, आसानी से उपलब्ध होंगे) ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और अनुबंध के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के दायित्व को प्रभावित किए बिना; या
- iii) अनुबंध को रद्द करें और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उपकरण या अन्य समान विवरण की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करें। (जब उपकरण या पुर्जे विल्कुल विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले बैंक की राय में नहीं हैं, जो अंतिम, आसानी से उपलब्ध होंगे) उपरोक्त खंड (बी) या इस खंड के तहत की जाने वाली कार्रवाई की स्थिति में जहां तक लागू हो, डिलीवरी क्लॉज का प्रावधान लागू होता है।

3.31 अंतिम अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णयः - अस्वीकृति के संबंध में बैंक के अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

3.32 भुगतान की शर्तेः भुगतान की निम्नलिखित शर्तें इस अनुबंध पर लागू होंगी:

- साइट पर जांच के बाद सामग्री के वितरण के के बदले उद्धृत दर के अनुपात का 60%।
- निविदा शर्त के अनुसार कार्य पूर्ण होने के बाद कोट की गई दर का 30%।
- . सिस्टम को पूरा करने और सौंपने पर और समान राशि की बैंक गारंटी (पीबीजी प्रारूप संलग्न है) जमा करने पर उद्धृत दर का 10% अर्थात् 05 वर्षों के लिए वैध। यदि फर्म पीबीजी जमा नहीं करती

है तो उतनी ही राशि पांच (05) वर्ष के लिए रोकी जाएगी।

- ईएमडी राशि भी काम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी।
- सभी बिल टीडीएस @ 1% या अनुबंध राशि का 2% (व्यक्तिगत फर्म के मामले में 1% और कंपनी के लिए 2%) और टीडीएस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अनुबंध मूल्य का 1% कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- बिल का भुगतान बैंक में जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

3.33 संपूर्ण कार्य को भाग I के संकेत खंड I के अनुसार पूरा किया जाएगा, जिसमें अनुबंध राशि के 10% की ऊपरी सीमा के अधीन 0.25%/सप्ताह का परिसमापन हर्जाना लगाया जाएगा।

3.34 सफल निविदाकार को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करना एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

3.35 सिस्टम के लिए भुगतान लखनऊ कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना की गई है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान भी लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में ही किया जाएगा।

3.36 निविदाकर्ता उन बैंकरों का नाम और पता प्रस्तुत करेगा जिनके साथ वे सामान्य रूप से बैंक करते हैं। वे अपने हाल के ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे जिनके लिए उन्होंने हाल के दिनों में इसी तरह के काम/आपूर्ति की है, साथ ही आपूर्ति की गई प्रणाली/मशीन की लागत और क्षमता, आपूर्ति की तारीख आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.37 बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.38 ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का कड़ाई से पालन करेगा

मैं/हम सब समझ गए हैं मुझे/हमें स्वीकार्य है

स्थान:

तारीख:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम & पदनाम

सुरक्षा कोड

- 1 जंतुरहित ड्रेसिंग और कपास ऊन की पर्याप्ति सहित आसानी से सुलभ स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को बनाए रखा जाएगा।
- 2 एक घायल व्यक्ति को समय की हानि के बिना एक सार्वजनिक अस्पताल में ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है।
- 3 उन सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
- 4 कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी लंबाई में 8 मीटर से अधिक नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होगी और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
- 5 खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर जो भी अधिक हो, नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और उत्खनन में आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- 6 भवन के फर्श या वर्किंग प्लेटफॉर्म में प्रत्येक खुले स्थान को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे, जिनकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
- 7 कोई भी मंजिल, छत या संरचना का अन्य हिस्सा मलबे या सामग्रियों से इतना अधिक ओवरलोड नहीं होगा कि इसे असुरक्षित बना दिया जाए।
- 8 डामर, सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्रियों के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- 9 वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आंखों की ढाल और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- 10 (i) पेस्ट के रूप में या रेडीमेड पेंट छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह सूखी रगड़ और स्क्रैप की जाती है।
- 11 ठेकेदार द्वारा पेंटरों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम बंद होने की अवधि के दौरान काम करने वाले पेंटरों को वस्तुओं को धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- 12 उत्थापन मशीनों और कार्यों में उपयोग किए जाने वाले टैकल, जिसमें उनके संलग्न, एंकरेज और समर्थन यंत्र शामिल हैं, सही स्थिति में रहने चाहिए।
- 13 सामग्री को ऊपर ले जाने या नीचे लाने या उतारने के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।

खंड III - अग्नि सुरक्षा

1. ड्रिलिंग मशीन और साइट पर उपयोग किए जाने वाले अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए गए विद्युत पावर केबलों/तारों में कोई जोड़ नहीं होगा और उन्हें ठीक से रेट किया जाएगा।
4. सभी विद्युत उपकरण अर्थात् वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाना चाहिए।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, अग्निशमन अनुभाग को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों / कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
7. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी अग्निशमन यंत्रों को घटनास्थल पर रखा जाएगा।
8. प्रयुक्त पेंट ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
9. व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा कामगारों को काम की आवश्यकता के आधार पर सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, बेल्डर मास्क, कान प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 'से अधिक के लिए ऊंचाई से काम करते समय कामगारों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री / कचरे को ढेर करने / डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे आमतौर पर बंद रखे जाएंगे।
13. अग्निशमन यंत्रों में से किसी को भी उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. उपकरण उपयोग में नहीं होने पर मुख्य से विजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
15. कार्य से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और आरी-कतरन को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय समय से अधिक काम करते समय कामगारों को बैटरी चालित आपातकालीन प्रकाश/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

खंड (चतुर्थ)

स्थितियाँ का संविदा - व्यावसायिक

इससे पहले की शर्तों को संदर्भित किया गया है

1. इन शर्तों के निर्माण में, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और संविदा करार में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां उनके लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, सिवाय इसके कि विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता हो।

ए) "नियोक्ता"

इसका मतलब भारतीय रिजर्व बैंक होगा और इसमें इसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

बी) कंपनी के मामले में

"ठेकेदार का मतलब _____ के तहत निगमित एक कंपनी होगी और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे।

ग) "साइट"

इसका मतलब होगा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किसी भी भवन और निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (सहित) सहित संविदा कार्य की साइट।

घ) "यह संविदा "

इसका अर्थ होगा संविदा का अनुच्छेद, विशेष शर्तें, सामान्य शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची और इसके साथ संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित।

ई) "लिखित रूप में सूचना"

इसका अर्थ लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित नोटिस में एक नोटिस "वर्णा/अक्षरों को पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पताकर्ता के पंजीकृत कार्यालय में भेजा गया (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से न दिया जाए अन्यथा यह प्राप्त हुआ है) माना जाएगा जब डाक की सामान्य व्यवस्था में इसे वितरित किया गया हो।

च) "दिवालियापन का अधिनियम"

इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवाला के किसी भी अधिनियम से होगा।

छ) "शुद्ध मूल्य"

यदि ठेका राशि निकालने के लिए ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में या अन्यथा घटाया होगा, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य वह राशि होगी जिसे जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़ों में से या घटाना हमेशा एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि प्रदान करता है कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़े या घटाए गए राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करने में किसी भी

प्रधान राशि की कुल राशि निविदा की कुल राशि से लागत मदों और अनंतिम राशियों की कटौती की जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब संविदा या खाते के संदर्भ में उपयोग की जाती है तो उन्हें इस प्रकार प्राप्त दरों या कीमतों के लिए माना जाएगा।

एच) "कार्य"

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 केवल्यूपी x 03 नंबर और 03 केवल्यूपी x 02 नंबर) की डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)।

2. संविदा का दायरा

4.2.1 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार उक्त कार्य को हर तरह से करेगा और इसे पूरा करेगा। बैंक के इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और / या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है,

- (ए) डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में बदलाव या संशोधन या किसी भी काम का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
- (बी) चित्रों में या मात्रा की अनुसूची और/या चित्रों और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- (सी) ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
- (डी) ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।
- (ई) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
- (च) कवर किए गए किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए उद्घाटन।
- (छ) इसके खंड 4.19 के तहत किसी भी दोष का संशोधन और सुधार।

4.2.2 ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा काम पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल हो, सात दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा अगले 07 दिनों के भीतर लिखित रूप से असहमति नहीं दी जाती है, तो इसे संविदा के दायरे में बैंक के इंजीनियर के निर्देश के रूप में माना जाएगा।

3. नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले बदलाव

4.3.1 इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक का इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि, नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना, मौखिक या लिखित कोई निर्देश जारी नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता को ठेकेदार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा और ठेकेदार को जारी किए गए सभी निर्देशों को तुरंत नियोक्ता के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ठेकेदार दरों, वाउचरों, आदि के विश्लेषण द्वारा समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए विविधताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। संवीक्षा पर दरें और नियोक्ता द्वारा अंतिम स्वीकृति एक पूरक करार होगा। नियोक्ता इस तरह के बदलाव के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन बयानों को इसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

4. डिजाइन, मात्रा की अनुसूची और करार

4.4.1 संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। ठेकेदार को इस पर हस्ताक्षर करने पर, बैंक के इंजीनियर द्वारा, नि: शुल्क, उक्त आरेखण और विनिर्देशों की एक-एक प्रति प्रदान की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक ऐसे आरेखणों की कोई और प्रतियों का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी आरेखणों की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर, या उसके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उस तक पहुंच प्राप्त होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह सभी आहरणों और विशिष्टताओं को तुरंत बैंक को लौटा देगा।

5. ठेकेदार को अपने खर्चे पर आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी।

4.5.1 ड्राइंग के आशय और अर्थ, मात्राओं की अनुसूची और विशिष्टताओं के अनुसार ठेकेदार अपनी लागत पर कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं, बशर्ते कि वही कर सकते हैं।

यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को ड्रॉइंग में या ड्रॉइंग, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप से इसे बैंक के इंजीनियर को संदर्भित करेगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

6. प्राधिकारी, नोटिस और पेटेंट

4.6.1 ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, और किसी भी प्राधिकरण के विनियमों और उप-नियमों और किसी भी पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरण जिनके सिस्टम के साथ संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है, और ड्राइंग या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले, जो इस तरह के अनुरूप होने की आवश्यकता हो सकती है, बैंक के इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित बदलाव और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट करना होगा और उस पर निर्देश के लिए आवेदन करेगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर इस तरह के निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य के साथ आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव को इसके खंड 4.13 के तहत निपटाया/समाधान किया जाएगा।

4.6.2 ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी भी प्राधिकारी को दिए जाने वाले सभी नोटिसों को बैंक के इंजीनियर के ध्यान में लाएगा और ऐसे प्राधिकारी को, या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को सभी शुल्क का भुगतान करेगा जो उचित हो, कार्यों के संबंध में प्रभार्य और बैंक के इंजीनियर के पास इसकी रसीदें जमा करेगा।

4.6.3 ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाइयों का बचाव करेगा और इस संबंध में सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हजरने की लागत और कानूनी रूप से खर्च किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा।

7. कार्यों की स्थापना

4.7.1 ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसकी उचित और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय, इस संबंध में कोई त्रुटि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकट होती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, अपने स्वयं के खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

8. विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी

4.8.1 सभी सामग्री और कारीगरी, जहां तक संभव हो, मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशों के अनुसार होगी और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर प्रस्तुत करेगा। उसे सभी चालानों, खातों, रसीदों और अन्य वातउचरों के साथ यह साबित करने के लिए कि सामग्री उसका अनुपालन करती है, देना होगा। ठेकेदार अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा और/या जांच करेगा।

9. ठेकेदार की निगरानी और कार्यों पर प्रतिनिधि का होना

4.9.1 ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत निगरानी करेगा और उसके बाद जब तक बैंक के इंजीनियर आवश्यक समझे तब तक परिशिष्ट में वर्णित "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक, करेगा। ठेकेदार पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर है, यह देखने के लिए एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो लगातार काम पर मौजूद रहेगा, जबकि व्यक्ति काम कर रहे हों। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

10. कामगारों की बर्खास्तगी

4.10.1 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तत्काल कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम या स्वयं कदाचार में शामिल हो और बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना, ऐसे व्यक्तियों को फिर से काम पर नहीं लगाया जाएगा।

11. कार्यों तक पहुंच

नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, तक मुफ्त पहुंच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को हर सुविधा देगा और सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण और जांच के लिए जहां पर उनके प्रतिनिधि आवश्यक हैं। सार्वजनिक प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

4.12.1 संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा या उसके किसी हिस्से/शेयर या उसमें किसी भी हित को हस्तांतरित, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा। नियोक्ता की, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को उनकी प्रगति के दौरान संविदा की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

4.12.2 कोई भी परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को प्रभावित नहीं करेगी, इसके सिवाय कि बैंक के इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई बदलाव, या परिवर्धन, या चूक या किसी भी परिवर्तन के लिए उचित सोचते हैं। उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता और ठेकेदार को लिखित रूप में इसकी सूचना इंजीनियर देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदल देगा, जोड़ देगा या हटा देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक के इंजीनियर और मूल्य की लिखित पूर्व सहमति के बिना संविदा, शर्त, विशिष्टता या संविदा आरेखण के किसी भी प्रावधान से हटकर कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा या कार्यों में बदलाव या परिवर्धन या चूक नहीं करेगा और इसका मूल्य इस तरह के अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन, या चूक संबंधी सभी मामलों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा नियोक्ता के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ क्लॉज 4,16 के प्रावधानों के अनुसार संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

13. मात्रा की अनुसूची

4.13.1 मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक पद्धति के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। काम के मापन योग्य मदों के लिए माप का तरीका खंड के तहत उप-खंड "माप का तरीका" में इंगित किया जाएगा।

4.13.2 विवरण में या मात्रा में या मात्रा की अनुसूची से मदों की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को समाप्त नहीं करेगी किन्तु इसे ठीक किया जाएगा और इसके खंड 4.16 के तहत निर्धारित मूल्य को संविदा में जोड़ा या घटाया जाएगा। राशि (जैसा भी मामला हो) बर्ती कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता

4.14.1 ठेकेदार को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची और / या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में निविदा देने से पहले उसे संतुष्ट माना जाएगा, जो दरें और कीमतें होंगी संविदा के तहत उसके अंतर्गत सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेगा।

15. कार्यों का मापन

4.15.1 बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने/आकलन करने की आवश्यकता है और ठेकेदार, बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के साथ इस तरह के माप और गणना करने में सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित होगा या एक योग्य एजेंट को भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देने के लिए उपस्थित होगा।

4.15.2 यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा या चूक करता है तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया माप कार्यों का सही मापन माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

4.15.3 ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो।

4.15.4 सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और बैंक के इंजीनियरों की जानकारी के बिना किए गए सभी बदलाव, यदि बाद में उसके द्वारा लिखित रूप में (नियोक्ता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ) स्वीकृत किया जाता है, तो ऐसे मापों में शामिल किया जाएगा।

16. अतिरिक्त कार्य आदि के लिए मूल्य का पता लगाना

4.16.1 ठेकेदार, अधिकृत होने पर, और जब निर्देश दिया जाता है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में, नियोक्ता के अनुमोदन से, ड्राइंग पर दिखाए गए कार्यों को जोड़ सकता है, हटा सकता है या बदल सकता है, या जो विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा की अनुसूची में शामिल है, लेकिन ठेकेदार इस तरह कोई जोड़, चूक या बदलाव प्राधिकारी के बिना लिखित निर्देश नहीं के नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा दिया गया निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर इसकी लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह लिखित रूप में दिया गया है।

4.16.2 अतिरिक्त मद: यदि किसी भी निविदा मद की मात्रा निविदा मद की मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो ऐसी मदों को अतिरिक्त मद माना जायेगा तथा इनकी दरें बाजार दर विश्लेषण के आधार पर तैयार की जायेगी। अतिरिक्त मद के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। जब तक कि इसे खंड के प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.2.2 एतद्वारा या नियोक्ता की सहमति से बैंक के इंजीनियर के अधिकार से, जैसा कि यहां बताया गया है, इस तरह के किसी भी अतिरिक्त कार्य को यहां अधिकृत अतिरिक्त कार्य के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

- (a) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान प्रकार के होते हैं और समान शर्तों के तहत निष्पादित होते हैं जैसी कार्य की कीमत दी गई हो।
- (b) सभी वस्तुओं की दरें, जहां भी संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(c) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें अलग की गई (लोप) वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यह लोप उन शर्तों को बदलती है जिनके तहत काम की कोई भी मदें शेष रह जाती है, उसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा और (डी) इसके बाद।

(d) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत निष्पादित किए गए हैं या जहां लोप उन परिस्थितियों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्य की कोई भी मदें शेष रह जाती हैं या यदि किसी लोप या परिवर्धन की राशि संबंधित है, तो संपूर्ण ठेका कार्य या उसके किसी भाग की राशि ऐसी होगी कि बैंक के अभियंता की राय में मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए हानि या व्यय से परे शामिल है जिस पर ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किया गया है या इस तरह की लोप या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयोगी हो गया है, बैंक के इंजीनियर ऐसी अन्य दर या कीमत तय करेंगे, जैसा कि वह नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ उचित और उपयुक्त समझेगा,

जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को दिन के काम के अनुसार कीमतों की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि निविदा में बताई गई शुद्ध दरों या मात्रा की मूल्य अनुसूची में दिया गया है या यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले में चल रहे स्थानीय दिन के काम की दरों और मजदूरी के अनुसार प्रदान की जाएगी; बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय निर्दिष्ट करने वाले वाउचर (और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा कामगारों के नाम की आवश्यकता हो) और नियोजित सामग्री को सत्यापन के लिए बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को उस समाह के अंत में या उससे पहले वितरित किया जाए, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

4.16.3 संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में वर्णित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं बताया गया है, तो संविदा के पूरा होने के छह महीने के भीतर, जैसा कि यहां खंड 4.20 में परिभाषित किया गया है, होना चाहिए।

17. अनफिक्स सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है

4.17.1 जहां किसी प्रमाण पत्र में (जिसका ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने कार्यों के लिए अभिप्रेत और/या रखी गई या उसके बगल में रखी गई किसी भी सामग्री का मूल्य शामिल किया गया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और वे बैंक के इंजीनियर के लिखित प्राधिकार के बिना कार्यों पर उपयोग के अलावा हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

18. अनुचित कार्यों को हटाना

4.18.1 कार्य की प्रगति के दौरान, बैंक के इंजीनियर को समय-समय पर लिखित में आदेश देने की शक्ति होगी कि किसी भी सामग्री को ऐसे उचित समय या निर्धारित समय के भीतर हटा दिया जाए जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। बैंक के इंजीनियर की राय विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री के प्रतिस्थापन और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य/वस्तु को हटाने और पुनः उचित निष्पादन ड्राइंग और विनिर्देशों या निर्देश के अनुसार सही नहीं है; ऐसी स्थिति में ठेकेदार ऐसे आदेश को अपने खर्च पर तत्काल पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता के पास ऐसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने की शक्ति होगी; और उसके परिणामस्वरूप होने वाले या उससे संबंधित सभी खर्च, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा या

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धन से या जो देय हो सकता है, काट लिया जा सकता है।

19. आभासी समापन के बाद दोष

4.19.1 कोई भी दोष, सिकुड़न, निपटान या अन्य दोष जो इसके परिशिष्ट में वर्णित "गारंटी अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं या, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो स्वीकृति के सफल समापन के बाद संयंत्र को सौंपने की तारीख से बारह महीने के भीतर सामग्री या कारीगरी से बैंक के इंजीनियर की राय में संविदा के अनुसार नहीं होने वाले परीक्षण, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, संशोधित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा, वह भी अपने स्वयं के खर्च पर और चूक के मामले में नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को इस तरह के दोषों, संकोचन, कमियों या अन्य दोषों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए भुगतान कर सकता है, और सभी नुकसान, हानि और उसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक खर्च को समायोजित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और इस तरह के नुकसान, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किए जा सकते हैं या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार को देय हो सकता है, या नियोक्ता इस तरह के संशोधन और ठेकेदार द्वारा ठीक करने के बदले में, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि, इस तरह के काम में संशोधन की लागत के बराबर और यदि इसके खंड 4.30 के तहत रखी गई राशि अपर्याप्त होने के कारण देय राशि से कटौती करके नियोक्ता ठेकेदार से इसके संबंध में किए गए किसी भी अन्य खर्च के साथ ही शेष राशि की भी वसूली करें। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 4.11 और 4.12 में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरीके से ठीक बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। मानो ऐसा काम या सामग्री इस ठेकेदार द्वारा की गई हो या इसकी आपूर्ति की गई हो और यह इसके खंड 4.2 के प्रावधानों के अधीन हो। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

20. आभासी पूर्णता और गारंटी अवधि का प्रमाण पत्र

4.20.1 कार्यों को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि निर्दिष्ट प्रणाली को सौंप नहीं दिया जाता। गारंटी अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी।

21. मनोनीत उप-ठेकेदार

4.21.1 सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारोबारी और अन्य किसी भी काम को अंजाम दे रहे हैं या किसी भी सामान की आपूर्ति और फिक्सिंग कर रहे हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइम या अननंतिम रकम को मात्रा और / या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल किया गया है, जिन्हें बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या चुना जा सकता है, एतद्वारा उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहां उन्हें नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

4.21.2 किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उन कार्यों पर या उनके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा (जहां बैंक के इंजीनियर और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो संविदा में प्रवेश नहीं करेंगे वशर्तें:

(ए) यह कि नामित उप-ठेकेदार ठेकेदार को उप-संविदा के संबंध में उसी दायित्वों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि ठेकेदार का इस संविदा के संबंध में है।

(बी) यह कि नामित उप-ठेकेदार स्वयं, उसके नौकरों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी वस्तु या अन्य संयंत्र के किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को हुई संपत्ति हानि की भरपाई करेगा या कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति करेगा।

(सी) नामित उप-ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से पहले ठेकेदार अनुरोध पर बैंक के इंजीनियर को सबूत प्रस्तुत करेगा कि सभी नामित उप-ठेकेदार के खाते में शामिल हैं पिछले प्रमाणपत्रों के अनुसार विधिवत कार्य किया गया है; चूंकि होने पर नियोक्ता बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर इसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति का प्रयोग नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच संविदा की गोपनीयता उत्पन्न नहीं करेगा।

22. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

4.22.1 नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करना चाहता है और ठेकेदार सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा ऐसे कार्य का निष्पादन जो इस संविदा में शामिल नहीं है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करना चाहता है और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा, लेकिन इस तरह के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था को छोड़कर काम करेगा। ऐसे कार्य इस प्रकार से किए जाएंगे कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ऐसे कार्य में होने वाली या उसके कारण होने वाली किसी क्षति या देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।

23. व्यक्ति और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा

4.23.1 ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए और संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो खुद या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, यदि इस तरह की चोट या क्षति, लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होती है, जो किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ी हो। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को किसी भी तरह की क्षति, चाहे वह तत्काल निकट हो या अन्यथा और सड़कों, पथों, फुटपाथों, पुलों या रास्ते को किसी भी तरह की क्षति के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य खराबियों से के कारण इमारतों और कार्यों को हुए सभी नुकसानों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में और किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या नुकसान की भरपाई से इनकार नहीं करेगा।

4.24.2 ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों को हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण किया जा सके और संपत्ति के नुकसान के सभी दावों को पूरा करने या अन्यथा संतुष्ट करने के लिए तीसरे पक्ष की भरपाई करेगा।

4.24.3 ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ जनता के किसी भी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में किए जा सकते हैं और ये कार्यालय के साथ एक अनुमोदित संविदा के आभासी समापन तक अपने दम पर भरपाई करेंगे, ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी और समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करने तक इस पर आने वाले व्यय की व्यवस्था और रखरखाव की व्यवस्था करनी ठेकेदार को करनी होगी। ठेकेदार भी इसी तरह नियोक्ता को सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जिसके लिए ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाही या दोषपूर्ण होने से होने वाले और आकस्मिक घटना के तहत किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क, या व्यय के संबंध में और किसी भी दंड या मुआवजे या उससे उत्पन्न होने वाले नुकसान के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

4.24.4 नियोक्ता किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और व्यय से उत्पन्न या अर्जित होने वाली या किसी भी ऐसे दावों या क्षति के संबंध में किसी भी या सभी देय राशि या ठेकेदार के कारण होने वाली राशि में कटौती उसके संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना करने का हकदार होगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, कार्यालय से अनुमोदित, निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों के साथ (संविदा के आभासी समापन तक) प्रभाव और रखरखाव की व्यवस्था करेगा और इक्करारनामा के तहत समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा।

24. प्रारंभ और समापन की तिथि

4.24.1 ठेकेदार को इसके परिशिष्ट में उल्लिखित "शुरू होने की तिथि" या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली बाद की तारीख पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा। परिशिष्ट में वर्णित "पूर्ण होने की तिथि" पर या उससे पहले (ऐसे पेंट या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक के इंजीनियर बाद में करना चाहते हैं) के साथ और पूरा करें, फिर भी ये इसके बाद में निहित समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन हैं।

25. पूरा नहीं होने पर नुकसान

4.25.1 यदि ठेकेदार कार्य की प्रगति की सहमत दर को बनाए रखने में विफल रहता है और या परिशिष्ट में वर्णित तिथि तक या इसके खंड (4.26) के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है और बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसका राय है कि इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए, ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के

लिए "परिसमाप्त नुकसान" के रूप में करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता किसी भी देय धन से इस तरह के नुकसान की कटौती ठेकेदार से कर सकता है।

26. विलंब और समय का विस्तार

4.26.1 यदि नियोक्ता की राय में, कार्यों में देरी हो रही है (ए) अप्रत्याशित घटना से या (बी) किसी भी असाधारण खराब मौसम के कारण या (सी) कार्यवाही के कारण या धमकी दी गई है या आस-पास या पड़ोसी के साथ विवाद के कारण मालिक या सार्वजनिक प्राधिकारी अन्यथा ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के माध्यम से या (डी) नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों के कार्यों या देरी से उत्पन्न होने और मात्रा और / या विनिर्देशों की अनुसूची में सही नहीं होने या (ई) यहां के खंड 4.2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का कारण या (च) नागरिक हंगामा, कामगारों के स्थानीय हंगामा या हड्डताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यवसाय के प्रभावित होने या (छ) ठेकेदार द्वारा देय राशि प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप बैंक के इंजीनियर से यथासमय आवश्यक निर्देश जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया है या (एच) अन्य कारणों से जिसे बैंक के इंजीनियर के प्रमाणित कर सकते हैं ठेकेदार के नियंत्रण से परे है या (इ) किसी घटना में, कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की निर्धारित अनुसूची के मूल्य से अधिक है, बैंक के इंजीनियर नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ संविदा कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और ठीक विस्तार कर सकते हैं। ऐसी हड्डताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार द्वारा इसकी लिखित सूचना बैंक के इंजीनियर को जल्द से जल्द दी जाएगी, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपना प्रयास लगातार करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि से वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

27. बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता

4.27.1 यदि ठेकेदार दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद इस तरह के आगे के आरेखण और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है जो कुछ भी हो सकता है जो इसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्चें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर क्रृत के रूप में वसूल किए जाएंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धन को उसके द्वारा काटे जा सकते हैं।

28. नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

4.28.1 यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या एक फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का अधिनियम" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के कारण उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश होता है या स्वेच्छा या न्यायालय से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित होता है और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन, दिवाला या परिसमापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर उसे दिखाने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता होगी जिससे कि बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि हो कि वह संविदा को पूरा करने और सम्पूर्ण करने में सक्षम है और बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक होने पर उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में वह सक्षम है।

या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने की अदालत की निष्पादन या अन्य प्रक्रिया से गुजरना पड़े,

या इस संविदा के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से संलग्न किए जाने वाले किसी भी भुगतान के दावे को भुगतना होगा, या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सौंपना या सबलेट करना होगा या इस संविदा या कोई भुगतान, या जो ठेकेदार को देय हो सकता है, उस समय और वहां पर चार्ज लिया या भारित किया जाएगा।

या यदि बैंक का इंजीनियर नियोक्ता को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार:

- i) संविदा को छोड़ दिया है, या
- ii) काम शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध कारण के बैंक के इंजीनियर की नोटिस से आगे बढ़ने के लिए मिली हो तब भी चौदह दिनों के लिए काम की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- iii) इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए साइट से सामग्री को हटाने या नीचे खींचने और काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्यों को इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा काम की निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था, या उपेक्षित या पूरा करने में विफल रहा है, इस संविदा के सभी या किन्हीं कार्यों, मामलों या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार सात दिनों के लिए ठेकेदार द्वारा लिखित नोटिस मिलने के बाद ठेकेदार को उसका पालन या प्रदर्शन करने की अपेक्षा थी जो पूरा नहीं हुआ।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता, ठेकेदार को सात दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इससे बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित किए बिना ठेकेदार, जो ठेकेदार पर पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि संविदा में इतना निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, नियोक्ता अपने एंजेंटों या नौकरों द्वारा संविदा में प्रवेश ले सकता है और कार्यों और सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, छाया, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तन और आसपास की भूमि या सङ्कों के परिसर में स्थित सामग्री पर कब्जा कर सकता है, और उसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और कामगारों के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और पूर्ण करने के लिए या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से काम पूरा कराने के लिए नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सामग्री और संयंत्र को पूरा करने और खत्म करने या उपयोग करने से रोकने या रोकने के लिए किसी भी कार्य या मामले या बात में बाधा नहीं डालेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक के इंजीनियर ठेकेदार को उसकी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में नोटिस देंगे, और यदि ठेकेदार इसकी प्राप्ति के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है उसे, नियोक्ता सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे बेच सकता है, और ठेकेदार को प्राप्त शुद्ध राशि के लिए क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक का इंजीनियर अपने हाथ से

लिखित रूप में यह सुनिश्चित और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र के मूल्य और नियोक्ता द्वारा इस प्रकार अपने कब्जे में ली गई सामग्री और व्यय या नुकसान जो नियोक्ता को पूरा होने वाले कार्यों की खरीद में लगाया जाएगा, और ठेकेदार के कारण राशि, यदि कोई हो, और राशि, जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। नियोक्ता को ठेकेदार, जैसा भी मामला हो, और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

29. ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

4.29.1 यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया है और लिखित में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता है, ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया जाएगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी करने में हस्तक्षेप करता है या बाधित करता है, या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देता है, या यदि बैंक के इंजीनियर या नियोक्ता के आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है या किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा किसी भी न्यायालय में, तब और उक्त किसी भी मामले में, ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के माध्यम से नियोक्ता को लिखित नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी, और वह नियोक्ता से भुगतान की वसूली का हकदार होगा। सभी कार्य निष्पादित और किसी भी नुकसान के लिए वह संविदा के उद्देश्य के लिए आपूर्ति या खरीदे या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री की वसूली का सकता है।

4.29.2 इस तरह के भुगतान की राशि निकालने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, वहाँ मूल्यांकन यहां के खंड 4.16 के अनुसार किया जाएगा।

30. प्रमाणपत्र और भुगतान

4.30.1 नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किया जाएगा:

बैंक के इंजीनियर द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किश्तें, जब बैंक के इंजीनियर की राय में अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य के मूल्य के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य पर काम करते हैं (बैंक के इंजीनियर के उचित विवेकाधिकार के अनुसार या कम) को संविदा के अनुसार निष्पादित किया गया है। बैंक के इंजीनियर अपने विवेक से कार्य में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर दी गई सामग्री के कारण अंतरिम प्रमाणपत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकते हैं, जो वह उचित समझे। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में इस बात का निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुसार है और न ही किसी भी राशि के लिए ठेकेदार का दावा होगा जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और भुगतान किया हो। नियोक्ता द्वारा जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.30.2 बैंक के इंजीनियर को किसी भी प्रमाण पत्र को वापस लेने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके किसी हिस्से को उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है।

4.30.3 बैंक का इंजीनियर किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया हो।

4.30.4 बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, यदि ठेकेदार कार्यों को सुनिश्चित करने में विफल रहता है और काम पूरा होने तक उनका बीमा करवाता है।

4.30.5 बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर "प्रमाण पत्र के वैधता की अवधि" के रूप में नियोक्ता को ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद किया जाएगा।

31. विलम्बित भुगतान

4.31.1 बैंक के इंजीनियर द्वारा यहां दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र के अनुसरण में नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर ब्याज लगाया जाएगा। "विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में उस तारीख से जिस पर नियोक्ता द्वारा भुगतान तक ऐसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

32. बैंक के इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

4.31.1 खंड 4.2.1 (ए, बी), 4.5, 4.6, 4.13 और 4.26 (ए, बी, सी, डी और एफ) इसके (जिन मामलों को यहां अपवादित मामलों के रूप में संदर्भित किया गया है) अंतिम और निर्णयिक होंगे और इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे। बैंक के इंजीनियर का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या बैंक के इंजीनियर द्वारा इनमें से किसी को भी देने से इनकार करने पर, मध्यस्थता के अधिकार के अधीन होगा और सभी मामलों में उसी तरह से इसके खंड 4.33 के तहत समीक्षा की जाएगी। (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) मानो यह बैंक के इंजीनियर का निर्णय था।

33. मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

4.33.1 किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो संविदा के संबंध में या कार्यों को करने के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण से पहले या बाद में, परित्याग या उल्लंघन संविदा के दौरान हों) को बैंक के इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि यहां खंड 4.33 में कहा गया है, लेकिन यदि नियोक्ता या ठेकेदार किसी मामले, प्रश्न या पर बैंक के इंजीनियर के निर्णय से असंतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार का विवाद (किसी भी अपवाद को छोड़कर) या बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी प्रमाण पत्र को रोकने के संबंध में, जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, और ऐसे किसी भी मामले में, दोनों में से कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना मिलने के 28 दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर के माध्यम से दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दिया जा सकता है कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जानी चाहिए। इस तरह की लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद में हैं या जिनके बीच ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई अन्य नहीं होगा और एतद्वारा मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाएगा या एक मध्यस्थ की नियुक्ति के

संबंध में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थों को, स्वयं को बोझ या संदर्भ लेने से पहले, एक अंपायर नियुक्त करेंगे।

4.33.2 मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, नोटिस की मांग को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित अपवादित मामलों के संबंध में, और विवाद में सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना पूर्वोक्त रूप में दी गई होगी।

4.33.3 मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना फैसला सुनाएगा या ऐसा और बढ़ा हुआ समय जो उसके या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, पार्टियों की सहमति से मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि होगी। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष अपने विवाद या अंतर को पारस्परिक रूप से सुलझाते हैं, समझौता करते हैं या मिश्रित करते हैं, तो मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, को रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से, जिस पर पक्षकारों ने मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से, वापस ले लिया तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

4.33.4 प्रत्येक या इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय की लागत और प्रासंगिक क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगी, जैसा भी मामला हो, अटार्नी और क्लाइंट के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में और किसके द्वारा और किसके ऊपर निर्धारित कर सकता है, उसकी राशि, या उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकता है, और किस तरीके से इसे वहन और भुगतान किया जाएगा। इस बारे में निर्देश दे सकता है। यह सबमिशन भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थता का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा बल्कि आगे बढ़ेगा।

सभी उचित परिश्रम के साथ काम करेगा और, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को अपने दायित्वों के वास्तविक कार्यों को करने के संबंध में बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का सम्मति से पालन करने के दायित्व से राहत नहीं देगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

34. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

4.34.1 नियोक्ता को किसी भी एजेंसी द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच करने का अधिकार होगा और अंतिम भुगतान के समय सभी बिल, सहायक वाउचर, सार आदि सहित ठेकेदार के पूर्ण और अंतिम बिल का भुगतान करने का अधिकार होगा। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

35. कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली के लिए नियोक्ता हकदार

4.35.1 किसी भी कारण से, नियोक्ता कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर, या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनर्निर्माण के आधार पर ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, के कार्य निष्पादन में, नियोक्ता, इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि, और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा। नियोक्ता को इस संविदा के तहत या अन्यथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से सुरक्षा जमा या किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से को वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठेकेदार के लिखित अनुरोध और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए नियोक्ता को पूर्ण सुरक्षा देने के अलावा, नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसके लिए इस तरह के दावे को चुनौती देने के परिणामस्वरूप नियोक्ता उत्तरदायी बन सकता है।

36. कार्यों का परित्याग

4.36.1 यदि किसी भी समय, निविदा की स्वीकृति के बाद, नियोक्ता को किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, पूरे या उसके किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक के इंजीनियर ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देंगे, जो पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी लाभ या लाभ के कारण मुआवजे के किसी भी भुगतान या अन्यथा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं मिलेगा।

37. अधिशेष सामग्री की वापसी

4.37.1 इस संविदा के सभी खंडों में से किसी भी विपरीत के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से ठेकेदार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदी गई है। उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए धारण करेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा आवश्यक होने पर बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा। सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसके खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्क शामिल हैं। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वास के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के लिए सभी धन, लाभ या फायदे के लिए उत्तरदायी होगा या जो सामान्य तौर पर इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप होता है।

38. ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से संविदा समाप्त करने का अधिकार, यदि एकल है

4.38.1 इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति(एकल) होने के नाते मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

39. परीक्षण

4.39.1 सभी उपकरणों का परीक्षण ठेकेदार और बैंक के इंजीनियर के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा, जैसा कि विनिर्देशों के विभिन्न वर्गों द्वारा आवश्यक है।

40. साइट पर कार्य

4.40.1 ठेकेदार साइट का निरीक्षण करेगा और स्वयं के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, प्रकार और सीमा का पता लगाएगा और सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेगा, चाहे विनिर्देशों, आरेखण या उपकरण की अनुसूची बनाने के लिए इन विशेषता के इरादे और उद्देश्य के साथ इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया

हो या नहीं।

स्थानः

निविदाकार के हस्ताक्षर

तिथि :

नाम

पद

फर्म का नाम और मुहर

खंड V

परिशिष्ट यहां संदर्भित है

1.	दोष देयता अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 12 महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 1 महीना।
3.	प्रारंभ होने की तिथि	आदेश पत्र की तारीख से 10 वां दिन।
4.	पूरा होने की अवधि	वर्क ऑर्डर के 10 वें दिन से 03 महीने
5.	काम पूरा करने में देरी के लिए परिसमापन क्षति।	संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन प्रति सप्ताह निष्पादित कार्य की लागत का 0.25%।
6.	चालू बिल के लिए अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य	भुगतान नियमों और शर्तों के अनुसार
7.	अंतरिम प्रमाण पत्र प्राप्ति की अवधि	1 महीना
8.	देरी से भुगतान के लिए ब्याज	3 प्रतिशत प्रति वर्ष

ठेकेदार के हस्ताक्षर

खंड (VI) - चेक लिस्ट

आरबीआई स्टाफ क्लार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 के डब्ल्यूपी x 03 नंबर और 03 के डब्ल्यूपी x 02 नंबर) की डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)।

वाणिज्यिक शर्तें

क्रम	विवरण	बैंक की शर्तें	शर्तों की सहमति (हाँ/नहीं)
1	वैधता	भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिन	
2	इंएमडी	Rs.19,500/-	
3	भुगतान की शर्तें	निविदा के खंड II, पैरा 3.32 के अनुसार	
	एएमसी के लिए भुगतान की शर्तें	सेवा के संतोषजनक समापन के बाद अर्धवार्षिक भुगतान।	
4	तकनीकी निर्देश	खंड VIII भी पूर्ण रूप से भरा जाए	
5	दरें/कर/शुल्क/चुंगी	स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।	
6	वारंटी अवधि	दोषपूर्ण सामग्री और कारीगरी सहित पूरे काम को सौंपने की तारीख से 12 महीने के भीतर	
7	पूर्ण होने की अवधि	खंड II में दर्शाए गए विस्तृत समापन कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रदान करने के पत्र के 10वें दिन से 03 महीने	
8	परिसमापन हर्जाना	संविदा राशि का 1/4% प्रति सप्ताह विलंबित अवधि के संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन	
9	देरी के लिए दंड सेवा प्रदान करने में	खंड II के खंड के अनुसार, निविदा भाग- I	
10	सेवा सुविधा	लखनऊ/कानपुर में उपलब्ध होगा और टेलीफोन/मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है।	

भाग II में कोई नियम और शर्तें नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल मात्रा का मूल्य वाला बिल होना चाहिए। शर्तें और भाग II में शामिल शर्तें, यदि कोई हों, मान्य नहीं होंगी या उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान

तिथि

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम पदनाम फर्म की मुहर

निविदाकर्ताओं का विवरण

A. फर्म का विवरण

क्रम सं.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरा जाएगा
1.	क्या मूल उपकरण उत्पादक हैं	
	या अधिकृत विक्रेता (कृपया प्राधिकार प्रमाण पत्र जमा करें)	प्राधिकार प्रमाण पत्र के लिए हां/नहीं बताएं
2.	फर्म की संरचना (साझेदारी/ स्वामित्व /पब्लिक लिमिटेड)	
3.	मालिक / भागीदारों / फर्म के निदेशकों के नाम	
4.	जीएसटी संख्या	
5.	फर्म का पता	
	टेलीफोन	
	ईमेल	
	फैक्स	

B. बैंकरों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	विवरण (क्रॉस किए गए रद्द चेक जमा करें)	निविदाकार द्वारा भरा जाएगा
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन तथा फैक्स संख्या	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

तकनीकी विशिष्टता/कार्य का दायरा

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 केडब्ल्यूपी x 03 नंबर और 03 केडब्ल्यूपी x 02 नंबर) की डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

कार्य का दायरा

यहां दिखाए गए और निर्दिष्ट किए गए कार्य की सीमा को संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी श्रम, सामग्री, उपकरण और पर्यवेक्षण को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, और बाद में रखरखाव भी शामिल होगा।

प्रत्येक 1.5 केडब्ल्यूपी संयंत्र एबी ब्लॉक, सीडी ब्लॉक और ईएफ ब्लॉक छत पर स्थापित किया जाएगा जिसमें 02 नंबर 12वी, 180 एएच रखरखाव मुक्त बैटरी और 03 केडब्ल्यूपी संयंत्र जीएचजे के ब्लॉक, एलएमएनपी ब्लॉक छत पर स्थापित किया जाएगा जिसमें 04 नंबर 12वी, 180 एएच रखरखाव मुक्त बैटरी होंगी। बैटरी और इन्वर्टर को ममटी (सीडी के ऊपर) थ्येत्र में रखा जा सकता है।

ऑफ-ग्रिड सोलर इन्वर्टर सिस्टम: तकनीकी मानकों का विवरण

सोलर पीवी सिस्टम में आवश्यक संख्या में पीवी मॉड्यूल, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड इन्वर्टर, एमपीपीटी, सोलर बैटरी, एनर्जी मीटर, बैटरी स्टैंड, इन्वर्टर स्टैंड, जंक्शन बॉक्स और वितरण बोर्ड, केबल और हार्डवेयर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर, टूल किट, संबंधित सिविल कार्य और नियंत्रण व निगरानी प्रणाली आदि शामिल होंगे। इन मदों के विवरण निम्नानुसार हैं:

ए) सोलर पीवी मॉड्यूल:

ए) एसटीसी के तहत 330Wp बिजली उत्पादन का सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल मोनो क्रिस्टलीय पीईआरसी (निष्क्रिय उत्सर्जक और रियर सेल / संपर्क) सिलिकॉन / अत्यधिक कुशल सोलर सेल सहित दिया जाएगा। मॉड्यूल की सरणी इस तरह से होनी चाहिए कि एसटीसी के तहत नामित सौर पैनल से न्यूनतम डीसी बिजली उत्पादन हो।

बी) कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों और उच्च हवा की गति (150 किमी / घंटा से अधिक) का सामना करने के लिए इसकी डिजाइन खुरदरी होनी चाहिए। यह 95% तक की सापेक्ष आर्द्रता और 10 डिग्री सेल्सियस व 85 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में संतोषजनक प्रदर्शन करेगा।

सी) पीवी मॉड्यूल को उनकी आउटपुट पीक वाट क्षमता के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

घ) पीवी मॉड्यूल एमएनआरई (जीओआई)-एसईसी परीक्षण प्रमाणित या अन्य मान्यता प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से होना चाहिए। सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विनिर्देशों के अनुसार सभी उपयुक्त मॉड्यूल की I-V विशेषताओं को आपूर्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बी) मॉड्यूल माउंटिंग संरचना एं:

ए) मॉड्यूल माउंटिंग संरचना को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह श्रृंखला में उपयुक्त संख्या में सौर मॉड्यूल से आउटपुट का त्याग किए बिना न्यूनतम स्थान पर बैठ जाए।

बी) संरचना को किसी भी मॉड्यूल के आसान प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाएगा और साइट की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

ग) माउंटिंग संरचना के फ्रेम और लेग असेंबली मानक के अनुसार होने चाहिए

डी) माउंटिंग संरचना निश्चित प्रकार की होनी चाहिए, साइट के लिए उपयुक्त झुकाव कोण, फाउंडेशन पीसीसी, संरचना को कठोरता प्रदान करने के लिए क्लैप सहित फासनर के साथ फिक्सिंग प्रकार का होना चाहिए।

ई) अर्थिंग किट का उपयोग करके सरणी संरचना को ठीक से ग्राउंड किया जाएगा।

च) चयनित सामग्री के साथ डिजाइन चित्र बैंक के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

सी) इन्वर्टर:

ए. सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल-फेज इकाइयों की आपूर्ति मानक के अनुसार और निर्दिष्ट के अनुसार की जाएगी। यह प्रासंगिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इन्वर्टर सौर सरणी द्वारा उत्पादित डीसी ऊर्जा को सीधे या सौर बैटरी बैंकों से एकल चरण में तटस्थ एसी ऊर्जा के साथ परिवर्तित करेगा। आउटपुट वेव फॉर्म केवल प्रासंगिक इन्वर्टर/पावर रूपांतरण मानकों के अनुसार साइन वेव होगा। इन्वर्टर को या तो उपयुक्त एमएस स्टैंड पर या बैटरी स्टैंड के साथ फर्श पर या दीवार पर निर्धारित स्थान पर उचित समर्थन के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। पीसीयू के नीचे/ऊपर से पीसीयू में कृत्तकों, दीमकों या अन्य कीड़ों की पहुंच को रोकने के लिए पीसीयू में सभी केवल प्रविष्टि को पूरी तरह से कवर किया जाएगा।

बी. प्रत्येक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल-फेज इकाइयाँ 1.5kVA (03 NO's) और 03 KVA (02 No's) सिंगल इन्वर्टर इकाइयाँ होंगी जो बैटरी वोल्टेज स्तर एक सेट पॉइंट (बैटरी बैंक वोल्टेज) से नीचे जाने पर बैटरी को स्वचालित रूप से चार्ज करने में सक्षम हों। उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद बैंक द्वारा निर्धारित बिंदु तय किया जाएगा। बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बैंक के निर्णय के अनुसार निर्धारित बिंदु किसी भी समय बदलने में सक्षम होगा।

सी. इन्वर्टर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि पैनल से सौर ऊर्जा का उपयोग इसकी अधिकतम सीमा तक किया जा सके।

डी. इन्वर्टर को विनिर्देशों के अनुसार निरंतर, विश्वसनीय विजली आपूर्ति के लिए डिजाइन किया जाएगा। इन्वर्टर में 25 प्रतिशत लोड से लेकर फुल रेटेड लोड तक उच्च रूपांतरण दक्षता होनी चाहिए। आउटपुट साइन वेव 3% से कम टीएचडी के साथ नो लोड से लेकर 0.8 पीएफ लैग या लेड पर फुल लोड तक। इन्वर्टर की दक्षता पूर्ण लोड पर 90% से अधिक और आंशिक लोड पर 80% से अधिक (50%-75%) होनी चाहिए।

इ. इन्वर्टर परिवेश के तापमान 0-55 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 0-95% आरएच. के तहत काम करने में सक्षम होना चाहिए।

एफ. इन्वर्टर में फीडर में किसी भी निरंतर खराबी के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इन्वर्टर में इनपुट और आउटपुट आइसोलेशन का प्रावधान होगा।

जी. इन्वर्टर स्वचालित संचालन को पूरा करने में सक्षम होगा।

डी) एमपीपीटी (अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकर) चार्जर

ए. अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकर (एमपीपीटी) इन्वर्टर के साथ अलग/एकीकृत होना चाहिए और यह पीवी सरणी के इष्टतम वोल्टेज पर संचालन करने में सक्षम होना चाहिए ताकि पीवी मॉड्यूल से अधिकतम शक्ति निकाली जा सके।

एमपीपीटी के कार्य तंत्र का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सिस्टम के लंबे जीवन के साथ-साथ सौर ऊर्जा प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को संरक्षित करना होगा। बी. एमपीपीटी चार्जर की क्षमता ओईएम डिजाइन के अनुसार इष्टतम स्तर पर होगी और उसका प्रदर्शन बैंक के इंजीनियर को साबित किया जाएगा।

सी. एमपीपीटी के पास लाइनों में किसी भी निरंतर दोष के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होगी।

डी. एमपीपीटी सौर बैटरियों की चार्जिंग/चार्जिंग कट ऑफ में स्वचालित संचालन को पूरा करने में सक्षम होगा। जब सौर बैटरियों में सौर पैनलों की तुलना में अधिक वोल्टेज हो तो इसे सौर पैनलों को वापस फीड नहीं चाहिए।

ई. समान सोलर पीवी सिस्टम में कम से कम तीन साल की त्रुटि मुक्त सफल कार्यप्रणाली वाली अच्छी गुणवत्ता और प्रतिष्ठित मेक की आपूर्ति की जानी चाहिए।

ई) सौर बैटरी (सी 10) ए. मानक के अनुसार और इन्वर्टर / एमपीपीटी डीसी के अनुसार 02 नंबर 3.0 केवीए के लिए 06 नंबर 12V,180 एएच, C10 सोलर बैटरियों की आपूर्ति और फिक्सिंग 03 नंबर 1.5 केवीए प्लांट के लिए और 04 नंबर 12V,180 एएच, सी10 सोलर बैटरियों की आपूर्ति और फिक्सिंग वोल्टेज रेटिंग।

बी. सिस्टम को पावर देने के लिए सोलर डीप साइकिल बैटरियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि चार्ज की गई बैटरियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू लोड को पावर देने के लिए किया जा रहा है। संग्रहीत बैटरी पावर का उपयोग मुख्य रूप से ग्रिड विफलता अवधि में किया जाएगा।

सी. एमपीपीटी/हाइब्रिड इन्वर्टर वोल्टेज रेटिंग के अनुसार बैटरियां समानांतर या श्रृंखला में कनेक्ट हो सकती हैं।

डी. बैटरियों को एक उपयुक्त धातु स्टैंड पर इनवर्टर यूनिट लगाने के प्रावधान के साथ रखा जाएगा ताकि पूरे सिस्टम को स्थापित करने में न्यूनतम स्थान लिया जा सके। स्टैंड डिजाइन बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

एफ) केबल्स और हार्डवेयर:

1. सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त आकार और वोल्टेज रेटिंग 620/1100V के लचीले केबल जो आईएस मानकों के अनुरूप होंगे। केबल में गर्मी, ठंड, पानी, तेल, धर्षण, यूवी विकिरण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध होना चाहिए।

2. ऐरे इंटरकनेक्शन, ऐरे से जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स से इन्वर्टर आदि के बीच केबल्स के आकार को पूरे सौर प्रणाली के वोल्टेज ड्रॉप (पावर लॉस) को न्यूनतम रखने के लिए चुना जाएगा। केबल (आईएस के अनुसार) बाहरी उपयोग के लिए तैयार एक विशेष ग्रेड पीवीसी यौगिक के साथ अद्वाता होना चाहिए।

3. केबल रूटिंग/मार्किंग: सभी केबल/वायरों को पीवीसी केबल ट्रे/पाइप में रूट किया जाना है और उपयुक्त रूप से टैग और चिह्नित किया जाना है।

4. केबल का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह सौर पीवी पैनलों के जीवन के अनुकूल हो।

जी) इन्वर्टर/एमपीपीटी में इंटरफेस डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से निम्नलिखित पैरामीटर सुलभ होने चाहिए।

ए. एसी वोल्टेज।

बी. एसी आउटपुट करंट।

सी. निर्गमन शक्ति

डी. डीसी इनपुट वोल्टेज।

ई. डीसी इनपुट करंट।

एफ. इन्वर्टर/एमपीपीटी स्थिति।

- एच) सिस्टम सुरक्षा आवश्यकताएं: सुरक्षात्मक कार्य सीमाएं (अर्थात्-एसी ओवर वोल्टेज, एसी अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, ग्राउंड फॉल्ट, पीवी स्टार्टिंग वोल्टेज, पीवी स्टॉपिंग वोल्टेज, ओवर वोल्टेज डिले, अंडर वोल्टेज डिले, ग्राउंड फॉल्ट डिले, पीवी विलंब से शुरू करना, पीवी रोक विलंब)। 1. सभी तारों/केबलों को उचित नाली या उपयुक्त आवरण में होना चाहिए और तारों को ढीला नहीं लटकाना चाहिए।
 2. सभी कनेक्शन उपयुक्त केबल/लग/टर्मिनलों के माध्यम से किए जाने हैं; ठीक से और केबल ग्रंथियों के उपयोग के साथ सिकुड़ा हुआ होना चाहिए।
 3. सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सभी घटक और सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और एमएनआरई/एएनईआरटी मानकों/विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए, जहां कहीं भी उपलब्ध/लागू हो।
 4. अद्यतन आईई अधिनियम/आईई नियमावली के अनुसार जहां आवश्यक हो, खतरे के बोर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

आई) ऊर्जा मीटर, ए. सौर पैनलों से उत्पादित उत्पादन ऊर्जा को मापने के लिए मानक के अनुसार डीसी ऊर्जा मीटर स्थापित किया जाएगा। उपयोग किया गया मीटर प्रासंगिक आईएस मानक का होगा। बी. मानक के अनुसार एक एसी ऊर्जा मीटर इनवर्टर की कच्ची बिजली आपूर्ति इनपुट लाइन में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि बैटरी चार्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापने के लिए जब बैटरी को सीधे सेट बिंदु के नीचे कच्चे बिजली की आपूर्ति से इन्वर्टर द्वारा चार्ज किया जा रहा हो, जैसा कि इन्वर्टर के विनिर्देशों में उल्लेख किया गया है। उपयोग किया गया मीटर प्रासंगिक आईएस मानक का होगा।

जे) पर्यावरण/रखरखाव/सुरक्षा डिजाइन मापदंड

i) पर्यावरण

सभी घटकों और सामग्रियों को स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों में लंबे समय तक सेवा काल के लिए डिज़ाइन करना और चुना जाना है।

ii) सुरक्षा संबंधी विचार

सभी घटकों को विफल प्रूफ निष्पादन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। उपकरण की विफलता या बाहरी प्रभाव जैसे अनुचित संचालन, बिजली की विफलता या सिस्टम या उपकरण के उचित कार्य को प्रभावित करने वाली अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों की स्थिति में, उक्त प्रणाली या उपकरण एक सुरक्षित स्थिति में वापस आ जाएंगे।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम
फर्म का नाम

मुहर

खंड VIII

ठेकेदार द्वारा तैयार किए जाने वाले तकनीकी डेटा की अनुसूची

ए	मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी एसपीवी मॉड्यूल	फर्म द्वारा टिप्पणियाँ
1	निर्माण का नाम और मॉडल	
2	मानक परीक्षण की स्थिति में मॉड्यूल का डिजाइन	
3	ए) पीक पावर वाट	
	बी) पीक पावर वोल्टेज	
	सी) पीक पावर करंट	
	डी) ओपन सर्किट वोल्टेज	
4	1.5KWP डीसी पावर प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित एसपीवी मॉड्यूल की संख्या	
	3.0 केडब्ल्यूपी डीसी पावर प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित एसपीवी मॉड्यूल की संख्या	
5	पीवी मॉड्यूल (ए) का शॉर्ट सर्किट करंट	
6	पीवी मॉड्यूल (वी) का ओपन सर्किट वोल्टेज	
7	मैक्स। एक PV मॉड्यूल (KWP) की पावर रेटिंग (330Wp से कम नहीं)	
8	एसपीवी मॉड्यूल का भरण कारक (> 0.70)	
9	कुल मिलाकर आयाम (मिमी में)	
10	वज़न	
11	एसपीवी मॉड्यूल का जीवन (प्रचालन के वर्ष)	
बी	इनवर्टर	
1	निर्माता का नाम और मॉडल	
2	इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज	

3	आउटपुट वोल्टेज	
4	आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म	
5	आउटपुट फ्रीक्वेंसी	
6	बैटरी चार्जिंग एम्पीयर दोनों प्रणाली के लिए	
7	बैटरी चार्जिंग सेट पॉइंट (समायोज्य)	
8	स्थान (आउटडोर/इनडोर)	
9	आयाम मिमी. में	
10	आवश्यक शीतलन का प्रकार	
11	माउंटिंग का प्रकार	
12	प्रदान की गई सुरक्षा का प्रकार	
13	अधिभार की स्थिति	
14	शॉर्ट सर्किट सुरक्षा	
15	कम / उच्च वोल्टेज संरक्षण	
16	पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक सुरक्षा हाँ/नहीं	
सी	एमपीपीटी चार्जर	
1	निर्माता का नाम और मॉडल	
2	इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज	
3	आउटपुट डीसी वोल्टेज रेंज	
4	बैटरी चार्जिंग एम्पीयर	
5	स्थान (आउटडोर/इनडोर)	
6	आयाम मिमी. में	

7	आवश्यक शीतलन का प्रकार	
8	माउंटिंग का प्रकार	
9	प्रदान की गई सुरक्षा का प्रकार	
10	अधिभार की स्थिति	
11	शॉर्ट सर्किट सुरक्षा	
12	कम / उच्च वोल्टेज संरक्षण	
13	पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक सुरक्षा हाँ/नहीं	
डी	बैटरी, 12V, 180 AH, (C10) सोलर ट्यूबलर मेटेनेस फ्री बैटरी	
1	निर्माता का नाम और मॉडल	
2	प्रत्येक बैटरी का बल्क वोल्टेज	
3	प्रत्येक बैटरी का फ्लोट वोल्टेज	
4	आयाम मिमी. में	
5	प्रति बैटरी वजन किलो ग्राम में	
6	प्रति बैटरी आसुत जल की मात्रा लीटर में	

स्थान

दिनांक

निविदाकर्ता के सुहर सहित हस्ताक्षर

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलनों को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नामः

पद्मास ;

दिनांक :

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी तकनीकी नियम और शर्तें और विनिर्देश हमें स्वीकार्य हैं।

क्र.	खंड संख्या	खंड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

मूल्यरहित बोली/अनुसूची का मात्रा

क्रमांक	कार्य का वर्णन	मात्रा	भाव	राशि
1	<p>1.5 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी आधारित हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। दर में सभी सामग्री के लिए अनुवर्ती और निविदा में निर्दिष्ट के रूप में शामिल होगा।</p> <p>ए) एसपीवी मॉड्यूल बी) सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सी) एमपीपीटी बैटरी चार्जर डी) सौर बैटरी - 02 नंबर (180 एएच, 12वी)- ई) एसपीवी माउंटिंग संरचना च) बैटरी स्टैकिंग संरचना छ) केबल, तार, जंक्शन बॉक्स। एच) एसी और डीसी दोनों ऊर्जा मीटर आई) एसी/डीसी एमसीबी, सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, आदि जे) अर्थिंग, लाइटनिंग प्रोटेक्टर आदि के) एक समग्र परिचालन प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा में परिभाषित आवश्यक मात्रा, सिविल कार्यों, किसी भी अन्य आवश्यक सामग्री, प्रशिक्षण आदि की सुरक्षा व्यवस्था। दर में जीएसटी सहित सभी कर, शुल्क, लेवी, बीमा और परिवहन शामिल होंगे।</p>	03 सेट		
2	<p>03 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी आधारित हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। दर में सभी सामग्री के लिए अनुवर्ती और निविदा में निर्दिष्ट के रूप में शामिल होगा।</p> <p>ए) एसपीवी मॉड्यूल ब) सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सी) एमपीपीटी बैटरी चार्जर घ) सौर बैटरी - 04 नंबर (180एएच, 12वी)- ई) एसपीवी माउंटिंग संरचना च) बैटरी स्टैकिंग संरचना छ) केबल, तार, जंक्शन बॉक्स। एच) एसी और डीसी दोनों ऊर्जा मीटर आई) एसी/डीसी एमसीबी, सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, आदि जे) अर्थिंग, लाइटनिंग प्रोटेक्टर आदि के) एक समग्र परिचालन प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा में परिभाषित आवश्यक मात्रा, सिविल कार्यों, किसी भी अन्य आवश्यक सामग्री, प्रशिक्षण आदि की सुरक्षा व्यवस्था। दर में जीएसटी सहित सभी कर, शुल्क, लेवी, बीमा</p>	02 सेट		

	और परिवहन शामिल होंगे।			
3	एक वर्ष की त्रुटि देयता अवधि (जीएसटी सहित) के बाद प्रति वर्ष पूरे सिस्टम (बैटरी को छोड़कर) के लिए व्यापक एएमसी शुल्क।	01	एलएस	

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम

मुहर सहित फर्म का नाम

पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित समान कार्यों की सूची (न्यूनतम 02 कार्य)

क्र.	फर्म का नाम और पता	आपूर्ति की गई इकाइयों की संख्या	काम का मूल्य	कार्य समय पर पूर्ण हुए या नहीं (शुरुआत की तारीख और पूरा होने की तारीख दें)	कार्य आदेश के अनुसार समापन अवधि	फर्म के संपर्क व्यक्ति का फैक्स / फोन नंबर

(निजी कंपनियों/ग्राहकों के लिए किए गए कार्य के मामले में टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न करें)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरः

दिनांक

अनुलग्नक वी

ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मैसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण:

1	संक्षिप्त विवरण सहित कार्य का नाम	
2	करार संख्या और तारीख	
3	करार राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि दर्शाएं) यदि कोई हो	
8	पूर्ण और भुगतान किए गए कार्य की कुल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया है?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें)	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
12	i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?	
	ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि	
	iii) प्रदान की गई कुल राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणी।	
	क) तकनीकी दक्षता	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

	बी) वित्तीय सुदृढता	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	सी) पर्याप्त टी एंड पी उपलब्ध कराना	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	डी) जनशक्ति उपलब्ध कराना	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	श्रेष्ठ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

टिप्पणी:

- * जवाब देने वाला अधिकारी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या पीएसयू के मामले में अधीक्षक / कार्यकारी अभियंता पद का होना चाहिए
- * जवाब देने वाला अधिकारी निजीसंगठनों के मामले में महाप्रबंधक पद का होना चाहिए

(निजी कंपनियों/ग्राहकों के मामले में टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न करें)

बैंकर प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

1. फर्म की संरचना (साझीदारी/ प्राइवेट लिमिटेड/ स्वत्वाधिकारी/ पब्लिक लिमिटेड में से क्या है?)
2. फर्म के स्वत्वाधिकारी/ साझीदारों / निदेशकों के नाम।
3. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
4. डीलिंग्सः
5. किस अवधि से फर्म आपकी बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
6. क्या फर्म को लगभग रुपए 10 लाख के कार्य की अनुमानित लागत वाले कार्यों का ठेका सौंपने के लिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ समझा जा सकता है।
7. कोई अन्य टिप्पणी।

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक

नोट :

बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष (लेटर हैड) पर होना चाहिए तथा इसे मुहरबंद लिफाफे में भारतीय रिजर्व बैंक को संबोधित किया जाना चाहिए।

साझीदारी फर्म के मामले में प्रमाणपत्र में, बैंक के अभिलेख के अनुसार सभी साझीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध – ‘डी’

लखनऊ / कानपुर में स्थापित सर्विस सेटअप का विवरण

क्र.सं.	सर्विस सेन्टर का विवरण
1	सर्विस सेन्टर का विवरण
2	संपर्क नंबर
3	स्टाफ की संख्या
4	क्या सोलर सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक किया गया है?

कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर

नोट: कृपया लखनऊ / कानपुर में स्थापित फर्म के सर्विस सेटअप विवरण के समर्थन के लिए दस्तावेजों के पर्याप्त प्रमाण संलग्न करें। दस्तावेज फर्म/मालिक/साझेदारों के नाम पर होने चाहिए।

प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक मुद्रांक पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

सं. _____

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

प्रिय महोदय

आपके साथ अपनी संविदा की शर्तों के अनुसरण में (कार्य का नाम) मैसर्स ----- (इसके पश्चात इन्हें 'संविदाकार' कहा जाएगा) द्वारा आपको प्रस्तुत की जाने वाली ----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) की प्रतिभूति जमा स्वीकार करने के आपके विचार तथा उनकी ----- तारीख की ई-निविदा तथा संविदा की आपकी विशेष शर्तों एवं निविदा दस्तावेज की अन्य शर्तों तथा आपसी सहमति से किए गए संशोधनों के अधीन या हमारे पास रखे गारंटी फॉर्म में संदर्भित आपकी ----- तारीख की संविदा में उल्लिखित तरीकों से हम (बैंक का नाम) एततद्वारा निम्नानुसार आपसे प्रतिज्ञाबद्ध एवं सहमत हैं :-

1. हम वचन देते हैं कि कथित संविदा में निहित किन्हीं अनुबंध एवं शर्तों का संविदाकार द्वारा किसी कारण से उल्लंघन करने पर एवं संविदाकार कोई चूक करता है या इस संविदा के संविदाकार कार्य में कोई चूक करता है या इसकी शर्तों की मूल भावना के अनुरूप पालन एवं निष्पादन नहीं करता है तो इसके तहत होने वाली हानि या क्षति अथवा नुकसान से आपको ----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) तक रक्षित रखेंगे, हम आपकी हानि, और/ अथवा नुकसान, लागत, प्रभार या संविदाकार की ऐसी किसी चूक के कारण होने वाले नुकसान के लिए आपके दावे के अनुसार आपकी मांग पर ----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) तक का भुगतान करेंगे।
2. पूर्ववर्ती भाग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संविदाकार की ऐसी चूक अथवा चूकों के बारे में तथा आप कितनी राशि के पात्र हैं इसके बारे में आपका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा एवं इस गारंटी के तहत हम आपसे अपने दावे की पुष्टि को स्थापित करने के बारे में पूछने का अधिकार नहीं रखते हैं और आपकी मांग पर बिना किसी प्रतिवाद या आपत्ति के आपको इसका भुगतान करेंगे।
3. यह गारंटी तब तक बरकरार एवं वैध रहेगी जब तक आप इसे उक्त संविदा की सापेक्षिक गारंटी अवधि की समाप्ति पर एवं इस संविदा के तहत संविदाकार ने अपनी सभी बाध्यताएं पूरी कर ली हों एवं इस संविदा के तहत कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो तथा 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत कर दिया गया हो तब संविदाकार के आवेदन पर आपने इसे मुक्त कर दिया हो वशर्ते यह गारंटी ----- तारीख के बाद प्रभावी नहीं रहेगी पर उक्त तारीख से छह महीना पूरे होने से पहले अगर आप हमें लिखित रूप से दावा या दावे तथा मांग या अन्यथा के बारे में सूचित करते हैं तो उस पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उक्त तारीख से अन्य किसी बात के होते हुए भी यह प्रवर्तनीय होगा।
4. किसी भी कारण से अगर इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हुआ तो हम मैसर्स..... के

अनुरोध के अनुसार इसे उस अवधि तक इसे बढ़ा देंगे जितनी कि मैसर्स..... द्वारा अपेक्षा की जाएगी। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम तथा हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

5. आपको पूरी स्वतंत्रता होगी कि आप इस गारंटी को प्रभावित किए बिना इस संविदा के अनुबंध तथा शर्तों को समय-समय पर परिवर्तित कर सकते हैं या संविदाकार के निष्पादन को समय विस्तार दे सकते हैं या समय को आगे बढ़ा सकते हैं या समय समय पर संविदाकार के विरुद्ध अपने अधिकार या शक्तियों को या तो लागू कर सकते हैं या इस संविदा की किसी भी अनुबंध या शर्त को रोक सकते हैं एवं इस गारंटी के तहत उक्त मामलों में आपके द्वारा अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से या किसी कारणवश संविदाकार को दिए गए समय या आपकी अन्य किसी छूट, कार्रवाई, अन्य किसी कारण से जिनकी वजह से कानून के तहत जमानतदार पर किए गए प्रावधानों के चलते वे अपनी देयता से मुक्त नहीं हो सकते हैं और यहां के निहितार्थ के अनुसार ये देयता ----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) तक सीमित होगी और साथ ही, हम अपनी देयता से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं।
6. आपके द्वारा संविदाकार या अन्य किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा इसकी ओर से कोई प्रतिभूति लेने या परिवर्तन करने या देने या संविदाकार के समापन करने, विघटन करने, दिवालिया होने या मृत्यु होने, जैसी भी स्थिति हो, के कारण यह गारंटी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।
7. यहां निहित गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए आप इस तरह कार्य करने को अधिकृत हैं कि संविदाकार के विरुद्ध आपके दावों के लिए हमारी गारंटी के चलते हम आपके प्रधान कर्जदार हैं और हम स्पष्ट रूप से जमानदारी एवं अन्य उन सभी अधिकारों को त्यागते हैं जो इस गारंटी के प्रावधानों से असंगत हैं।
8. हमारी उक्त अधिकतम देयता के अधीन, इस गारंटी में, समय समय पर संविदाकार के विरुद्ध या इस संविदा के संबंध में आपका दावा या आपके दावे एवं आपके वे दावे जो इस गारंटी के समाप्त होने की तारीख से छह महीने पहले हमारे पास लिखित रूप में दर्ज करा दिए गए थे, वे शामिल होंगे।
9. इसके तहत मांग या अन्यथा संबंधी कोई भी नोटिस विशेष कुरियर, टेलेक्स, फैक्स या हमारे स्थानीय पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है एवं यदि इसे डाक से भेजा गया है तो जब इसे डाक में डाला जाए तभी से इसे दिया हुआ समझा जाएगा।
10. यह गारंटी एवं इसमें निहित शक्तियां एवं प्रावधान हमारे (दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) द्वारा आपको दी गई अन्य किसी गारंटी या गारंटियों एवं जो अभी खारिज नहीं हैं ऐसी गारंटियों से सीमित या प्रतिस्थापित नहीं है तथा इस गारंटी से ऐसा आशय नहीं है तथा ऐसी गारंटी या गारंटियों को प्रतिसंहरित या सीमित नहीं कर सकती है।
11. यह गारंटी संविदाकार या हमारे गठन में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही आपके संघटन में किसी परिवर्तन या किसी समामेलन या समावेशन या संबंधित से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समावेशित या समामेलित या संबंधित पक्ष को इसके लाभ मिलें एवं ये प्रभावी रहें।
12. बैंक की तरफ से इस ई-निविदा की किसी शर्त को लागू करने में कोई छूट, कार्रवाई या चूक अथवा बैंक द्वारा निविदाकर्ता के प्रति कोई अनुग्रह दर्शाने से जमानतदार को इस गारंटी के तहत जमानतदार की देयताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी एवं यह मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब बैंक जमानतदार को इसकी सूचना दे।
13. अपनी अवधि के दौरान गारंटी प्रतिसंहरणीय है एवं आपकी लिखित पूर्व सहमति के बिना इसे प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता है।
14. हम इस पर सहमत हैं और बचन देते हैं कि आपके एवं संविदाकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच चल रहे या उत्पन्न हुए मतभेद या विवाद या तकरार के बावजूद आपकी किखित मांग पर हम आपको बिना किसी आपत्ति के भुगतान करेंगे।

15. उपर्युक्त तथ्यों में कुछ भी होने के बावजूद इस गारंटी के तहत हमारी देयता----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी के तहत किसी भी विस्तार सहित इस गारंटी के समाप्त होने की तारीख के छह महीने के अंदर अगर भुगतान हेतु हमारे समक्ष लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के तहत आपके अधिकार समाप्त समझे जाएंगे एवं हमें मुक्त माना जाएगा एवं इसके तहत समस्त देयताएं मोचित समझी जाएंगी चाहे भले ही मूल गारंटी हमें लौटाई गई हो या न लौटाई गई हो।
16. अपने बैंक के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम के तहत हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा अधोहस्ताक्षरी को बैंक द्वारा प्रदत्त पावर ऑफ अटार्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति प्राप्त है।

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

(उक्त नामित बैंक हेतु एवं उनकी तरफ से)

के लिए एवं की तरफ से

(बैंकर का नाम तथा मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

अनुबंध 'एफ' – बैंकर का विवरण

हमारे बैंकरों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में अपलोड किया गया है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखा और उसका पूरा पता	संपर्क व्यक्ति का नाम	टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी

कंपनी की मुहर

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
दिनांक

अनुबंध - 'जी'

**प्रस्ताव / आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटार्नी) का फॉर्मेट
(समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक मुद्रांक पत्र पर)**

यहां उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि हम (बोलीदाता का नाम तथा उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एततद्वारा श्री/ सुश्री (मुख्तारनामा धारक का नाम तथा पता), जो कि हमारे यहां नियुक्त हैं एवं का पद धारण किए हैं, को अपने अटार्नी के रूप में गठित, नियुक्त तथा प्राधिकृत करते हैं ताकि वे हमारे नाम से एवं हमारी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में सौर पावर प्रणाली आधारित ग्रिड इंटरेक्टिव एसपीवी की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग (DSITC) की हमारी बोली से संबंधित ऐसे सभी कार्य, विलेख एवं इससे संबंधित कार्य अथवा अनुषंगी कार्य कर सकें। इसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना उपलब्ध कराने/ प्रत्युत्तर देने, सभी मामलों में संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करने, एवं आम तौर पर इस प्रोजेक्ट के संबंध में हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संपर्क करेंगे।

हम एततद्वारा इसकी अभिपुष्टि के लिए सहमत हैं कि इस पावर ऑफ अटार्नी के अनुसरण में हमारे कथित अटार्नी के सभी कार्य, विलेख एवं किए गए विधिसम्मत कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा किए गए कार्य समझे जाएंगे और माना जाएगा कि यह हमने किया है।

नोट

पावर ऑफ अटार्नी को समुचित रूप से मुद्रांकित एवं नोटरीकृत किया जाए।
पावर ऑफ अटार्नी अप्रतिसंहरणीय होनी चाहिए।

बोलीदाता/बोलीदाताओं के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की स्टैम्प/ मुहर

(एनबी: जिस राज्य में गारंटी निष्पादित की गई है उसमें लागू अनुसार मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) लगेगा एवं इस पर वह अधिकारी हस्ताक्षर करे जिसके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार सत्यापित है।)

बयाना जमा राशि के बदले बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक मुद्रांक पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

यह गारंटी विलेख ----- (तारीख) ---- (माह) दो हजार ----- (वर्ष) को ----- (बैंकर का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय ----- (स्थान) पर है तथा जिसका एक स्थानीय कार्यालय ----- (इसके पश्चात इसे जमानतदार कहा जाएगा) में है, के तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित निकाय भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय इसके केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 भारत (इसके पश्चात इसे बैंक कहा जाएगा) में स्थित है, के बीच किया गया है।

जबकि ----- (निविदादाता का नाम जिसे अब 'निविदादाता' कहा जाएगा) ----- के तहत पंजीकृत कंपनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय ----- में स्थित है, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र की डिजाइन, डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के लिए इसकी निविदा और उसमें संलग्न विनिर्देशों और नियमों तथा शर्तों के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक के पास ----- भारतीय रूपया (----- भारतीय रूपया) जमा कराने को बाध्य है।

जबकि निविदाकर्ताओं को जारी अनुदेश के खंड IV की धारा सं. ----- तथा विशेष शर्तों के अनुसार ई-निविदाकर्ता नकद रूप में बयाना राशि जमा करने के बदले ----- तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

अब इसके साक्ष्य स्वरूप :

1. निविदाकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत उक्त ई-निविदा के प्रतिफल में जमानतदार वचन देता है कि बैंक द्वारा इस गारंटी विलेख को प्रस्तुत करने की तारीख की पावती से की गई मांग पर एक सप्ताह में बैंक को बिना किसी आपत्ति के ----- भारतीय रूपया (----- भारतीय रूपया) की राशि का भुगतान करेगा, निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में बैंक के पास यह राशि जमा करने के लिए बाध्य है।
2. यह गारंटी निविदाकर्ता की किसी कमजोरी अथवा अनियमितता या विघटन या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतदार के संघटन में होने वाले किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
3. जब भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र की डिजाइन, डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के लिए इसकी निविदा के कार्य का आदेश देने का निर्णय ले ले और इसके बाद यदि अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात अपने प्रस्ताव को रद्द कर दे या अनुबंध एवं शर्तों में कुछ ऐसा संशोधन करे जो बैंक को स्वीकार्य न हो या आदेश स्वीकार करने में अनिच्छा जाहिर करे तो इस गारंटी के तहत बैंक दावा करने का पात्र होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
4. बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जमानतदार गारंटी की अवधि के दौरान इसे प्रतिसंहित नहीं कर सकता है।
5. पूर्ववर्ती भाग में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस गारंटी के तहत जमानतदार की देयता ----- भारतीय रूपए (----- भारतीय रूपए मात्र) तक ही सीमित होगी।
6. यह गारंटी ----- तक प्रभावी रहेगी एवं बैंक द्वारा जमानतदार को इस आशय की सूचना प्रदान करने पर यह खत्म हो जाएगी एवं निष्प्रभावी हो जाएगी और उस स्थिति में यह गारंटी मोचित समझी जाएगी।

7. बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के अनुसरण में जमानतदार भुगतान करेगा चाहे भले ही निविदाकर्ता तथा बैंक या अन्य किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद हो गया हो अथवा विवाद उत्पन्न हो जाए।
8. उक्त ई-निविदा की किसी शर्त को लागू करवाने में बैंक के किसी स्थगन, कार्रवाई या चूक या बैंक द्वारा निविदाकर्ता के प्रति किसी तरह का अनुग्रह दर्शाने से इस गारंटी के तहत जमानतदार किसी भी तरह इसका मोचन न करने या इस बाध्यता को पूरा करने से मुक्ति नहीं मिलती है एवं बैंक द्वारा जमानतदार को इसकी सूचना देने पर गारंटी मोचित करनी होगी।
9. पूर्ववर्ती भाग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि _____ तक अथवा इससे पहले जमानतदार से लिखित रूप में इस गारंटी के तहत कोई मांग अथवा दावा नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के तहत जमानतदार को सभी देयताओं से मुक्त समझा जाएगा।
10. जमानतदार को अपने अंतर्नियम एवं बहिर्नियम के तहत गारंटी जारी करने की शक्ति हासिल है तथा इस विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास जमानतदार द्वारा प्रदत्त पावर ऑफ अटार्नी के तहत आवश्यक शक्तियाँ हैं।

उपरोक्त नाम की बैंक की ओर से अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षरित और सुपुर्द।
(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक
(बैंकर की मुहर)

करार की शर्तें

(केवल सफल बोलीदाता से 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ तथा मैसर्स _____ के बीच माह _____ के _____ दिन पर करार की शर्तों के साथ करार किया गया है जिसका प्रथम पक्ष भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ है और जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400001 में स्थित है (इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा) है और दूसरी ओर मैसर्स _____ हैं, (इसके बाद इन्हें "ठेकेदार" कहा जाएगा)

जबकि नियोक्ता कार्य का नाम प्रस्तावित कार्य को करने का इच्छुक है और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाले चित्र और विनिर्देश दिए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों और संविदा/ अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन और निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) उक्त रेखाचित्रों पर दिखाए गए कार्य और/या उक्त विशिष्टता में वर्णित हैं और मात्राओं की अनुसूची में संबंधित दर पर शामिल हैं, जो उस राशि के रूप में निर्धारित की गई है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय होगी। (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित किया गया है)

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है :-

(ई-निविदा का संपूर्ण भाग-। एक करार है)

उक्त अनुबंध राशि को समय पर और उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से भुगतान की जाने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन और उक्त रेखाचित्रों और मात्रा की अनुसूची में दिये गए/ दिखाए गए कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा जो उक्त विनिर्देशों में वर्णित है।

नियोक्ता उक्त संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का ठेकेदार को भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट की गई हैं जो यथासमय और निर्दिष्ट तरीके से देय होगी।

उक्त शर्तों और उनके परिशिष्ट को इस करार के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, खुद को उक्त शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करेंगे और कथित शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।

यहां उल्लिखित संविदा और दस्तावेज करार का आधार होंगे।

नियोक्ता के पास काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या इस अनुबंध के पूर्वाग्रह के बिना किए गए उसके कुछ हिस्सों को जोड़कर ड्राइंग और काम की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। समय को इस अनुबंध/संविदा का सार माना जाएगा और ठेकेदार इसके द्वारा साइट को सौंपे जाने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने की तारीख के दसवें दिन से, जैसा कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है, जो भी हो, काम शुरू करने के लिए सहमत है। बाद में और पूरे काम को 03 महीने के भीतर पूरा करने की अवधि है, फिर भी बैंक द्वारा प्रदान किए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन होगा।

इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल लखनऊ में किए जाएंगे।

इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को लखनऊ में उत्पन्न माना जाएगा और केवल लखनऊ के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

इस संविदा के कई/सभी हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म अथवा एक व्यक्ति है	इस बात के प्रमाण में नियोक्ता और ठेकेदार ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं, और इस पर दिन और वर्ष लिखा गया है, इसकी दो प्रतियाँ तैयार की गई हैं।
यदि ठेकेदार एक कंपनी है	इस बात के साक्ष्य में कि नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी सामान्य मुहर को यहां लगा दी है और उक्त इन करारों की दो प्रतियाँ को अपनी ओर से निष्पादित किया है। और जिस पर दिन और वर्ष लिखा गया है।

हस्ताक्षर खंड:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित सुपुर्द किया गया,

*

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में -

गवाह -

1. _____

पता

2. _____

पता _____

यदि पार्टी
साझेदारी फर्म है
अथवा व्यक्ति है

द्वारा हस्ताक्षरित सुपुर्द किया गया _____

की उपस्थिति में:

1. _____

पता _____

2. _____

पता _____

कॉमन सील/मुहर : _____

इसके निदेशक मंडल द्वारा निम्न की उपस्थिति में दिनांक _____ आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार इसे लगाया गया था।

की उपस्थिति में -

गवाह -

1. _____

जिन निदेशकों ने इन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, साक्ष्य के रूप में उनके हस्ताक्षर

2. _____

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत जिन निदेशकों ने इन करारों पर हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड हस्ताक्षर किए हैं, साक्ष्य के रूप में एसोसिएशन ऑफ आर्टीकल्स ऑफ उनके हस्ताक्षर एसोसिएशन खंड के साथ मेल खाना चाहिए।

1. _____

2. _____

यदि ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर कर रहा है, श्री _____ और विधिवत गठित अटॉर्नी चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति हो।

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का एक ई-प्रोक्योरमेंट ईवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को अवश्य पढ़ और समझ लें। दस्तावेजी प्रमाण के साथ शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदाकार (जहां आवश्यक हो) निविदा में, मूल्य बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो कि निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया इंटरनेट पर की जाएंगी। वेंडर के पास हस्ताक्षर करने के लिए तृतीय श्रेणी का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडरों को बोली लगाने के लिए इंटरनेट से जुड़े पीसी की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए MSTC जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)

विशेष ध्यान दें : तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली केवल आनलाइन माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind पर प्रस्तुत की जाए।

1). वेंडरों को www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU /govt depts → RBI Lucknow → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password → Submit पर अपने को रजिस्टर करना होगा।

2). वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरने के समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि का एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया आरबीआई / एमएसटीसी से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पूर्व) संपर्क करें।

सम्पर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक):

i) श्री मुकेश राज (सहायक प्रबंधक): 9905803320 (edLucknow@rbi.org.in)

ii) लक्ष्मी नारायण सामंतरा, सहायक प्रबंधक (इलैट्रिकल) 7044091683,
Lnsamantara@rbi.org.in)

सम्पर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लि.):

	<p>i) श्री विजयंत नारायण, सीनियर एक्जिक्यूटिव, 09909080178</p> <p>ii) एमएसटीसी साइट पर तकनीकी सहायता, 0522-4244702, IVRS No:07969066600</p> <p>iii) कोलकाता प्रधान कार्यालय का नंबर - 033-35013220/21/22</p> <p>बी) सिस्टम संबंधी आवश्यकताएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Windows 7 Operating System & above ii) IE-7 and above Internet browser. iii) Signing type digital signature iv) JRE 7 update 9 and above software to be downloaded and installed in the system. <p>To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools→Internet Options→custom level</p> <p>अधिक विवरण/जानकारी के लिए, वेंडर www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ ले सकता है।</p>
2.	<p>(ए) भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई निर्दिष्ट तिथि व समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।</p> <p>(बी) भाग II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ को तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग II मूल्य बोली खोले जाने के संबंध में तारीख की सूचना उनके द्वारा प्रदान किए गए वैध ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।</p> <p>नोट: निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर इस संबंध में कोई बात-चीत नहीं की जाएगी। अतः कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें/दरें प्रस्तुत करें। हालांकि, यदि बाजार की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो सबसे कम बोली लगाने वाले को ऑर्डर अवॉर्ड किया जा सकता है और यदि दर अभी भी अधिक मानी जाती है, तो मौजूदा/प्रचलित निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	<p>लेन-देन शुल्क हेतु विशेष ध्यान देने योग्य बातें:</p> <p>लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी साइट पर ऑनलाइन किया जाना है, लेनदेन शुल्क का भुगतान करने के बाद, विक्रेता को वेंडर लॉगिन में "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee entry" लिंक का</p>

	<p>उपयोग करके लेनदेन शुल्क का विवरण दर्ज करना चाहिए। यहां पर वेंडर उस विशेष निविदा का चयन कर सकता है जिसमें वे भाग लेना चाहता है, दाईं ओर टिक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर पेज के नीचे "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात पेज उपलब्ध होगा जहां पर वेंडर प्रदान किए गए बॉक्स को को लेनदेन विवरण भरना होगा, जैसे कि यूटीआर नंबर, लेन-देन की दिनांक, और विप्रेषित करने वाले बैंक का नाम भरना होगा और फिर "Confirm" बटन पर क्लिक करना होगा।</p> <p>नोट: बोलीदाताओं को लेनदेन शुल्क निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से समय-पूर्व ही जमा कर देना चाहिए क्योंकि एमएसटीसी द्वारा लेनदेन शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही, बोली जमा करने के लिए वे एक्टिवेट होंगे।</p> <p>वेंडरों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक में नकदी जमा न करें क्योंकि ऐसे नकद लेनदेन से विप्रेषक के विवरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।</p> <p>सम्पर्क विवरण:</p> <p>फैक्स नं. : 033- 22831002</p> <p>ई-मेल आईडी: sanjibpoddar@mstcindia.co.in, arindam@mstcindia.co.in, rpradhan@mstcindia.co.in, smukherjee@mstcindia.co.in, umesh@mstcindia.co.in, smohanta@mstcindia.co.in</p> <p>बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क केवल बोली लगाने वाले के खाते से डेबिट करके जमा किया जाना चाहिए; किसी अन्य पार्टी के खाते से अथवा डेबिट करके जमा किया गया लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</p> <p>किसी भी कारण से लेनदेन शुल्क का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में, वेंडर के पास, ई-निविदा को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएगा।</p>
5.	<p>बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे एमएसटीसी शुल्क और ईएमडी को अलग-अलग एनईएफटी/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ को अग्रिम रूप से विप्रेषित करें।</p> <p>दस्तावेज़ (डॉक्यूमेंट) लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए वेंडरों को My menu मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें, लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड करने के लिए एक दस्तावेज का अधिकतम साइज़ 5 एमबी है।</p> <p>एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के पश्चात, वेंडर निर्दिष्ट निविदा के लिए Attach Document लिंक के माध्यम से दस्तावेज अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, यदि किसी निविदा के साथ दस्तावेज अटैच नहीं हैं, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा और यह माना जाएगा कि वेंडर द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर मार्गदर्शिका के निर्देशों का पालन करें।</p>
6.	<p>निविदा को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान निविदा को अंतिम रूप देने तक भारतीय रिजर्व बैंक,</p>

	<p>लखनऊ और एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा बोलीदाताओं को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। अतः बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि, उनके द्वारा प्रदान किया गया उनका ईमेल पता वैध है और एमएसटीसी (अर्थात् सर्विस प्रोवाइडर) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में अद्यतन किया गया है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
7.	<p>(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित, वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले टीमों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खुलने की निर्धारित तिथि से पहले एक बार पुनः वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के पश्चात उक्त निविदा के संबंध में अपलोड किया गया कोई भी शुद्धिपत्र उनसे नहीं छूटा है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।</p> <p>(ii) इस एनआईटी के संबंध में, शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई भी सूचना अलग से उन निविदाकारों को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind देखें।</p>
8	एनआईटी में उल्लिखित निर्धारित तारीख और समय के पश्चात ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
9.	<p><u>ई-निविदा में बोली लगाना</u></p> <p>ए) बोलीदाता (बोलीदाताओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई व्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p> <p>बी) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।</p> <p>सी) उपरोक्त शुल्क जमा करने वाले बोलीदाता केवल एमएसटीसी की वेबसाइट पर www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU /Government Departments →RBI Lucknow Login → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event → Techno Commercial Bid पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>डी) वेंडर के पास रनिंग जावा एप्लिकेशन होना चाहिए। यह एक्सरसाइज़ बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करनी है। उसके पश्चात उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद उन्हें टेक्निकल बिड पर क्लिक करना होगा। यदि यह जावा एप्लिकेशन रन नहीं करता है, तो वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा। (विवरण के लिए वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें)।</p>

ई) पहले वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो तो भरना होगा और उसे सेव करना होगा। उसके पश्चात वेंडर को तकनीकी-कमर्शियल बिड भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होगा और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन (Final Submission)" बटन पर क्लिक करना है।

नोट:- फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, "विद्वाँ बिड" और "डिलीट बिड"। यदि वेंडर अपनी बोली को स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उन्हें बोली वापस लेने के लिंक पर क्लिक करना चाहिए। इसके बाद वह दोबारा बोली नहीं लगा सकेगा/सकेगी। यदि वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बोली को डिलीट करना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है तो उसे डिलीट बिड बटन पर क्लिक करना होगा और उसे फिर से सबमिट करना होगा और फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

एफ) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

जी) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए भी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

एच) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से तथा उपरोक्त उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

आई) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगी। ऐसे सफल निविदाकार को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठिकेदार कहा जाएगा।

जे) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियों को डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इसे सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

के) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द करने अथवा अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

एल) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर पर बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

	एम) माप की इकाई (UOM) का ई-निविदा फ्लोर में उल्लेख किया गया है। उद्धृत की जाने वाली दरें ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रूपए में होनी चाहिए।
10.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों से विचलन की अनुमति नहीं है।
12.	भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पास बिना कोई कारण बताए बिना, इस ई-निविदा को रद्द करने अथवा बोली (बोलियों) की प्राप्ति की नियत तारीख को आगे बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज जो कि एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.	भरे गए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जाएगा।
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीच्छा की जाएगी। यदि संवीच्छा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 KWp X 03 No's & 03 KWp X 02 No's) के डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (DSITC) के लिए ई-निविदा।

भाग - II

आरबीआई/लखनऊ/संपदा/212/22-23/ईटी/323

निविदा के भाग-I की संवीक्षा के पश्चात, पात्र पाए जाने पर फर्मों को भाग II/मूल्य बोली के खुलने की तिथि/समय की सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

भाग-II
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्रार्टर, अलीगंज, लखनऊ में ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर प्लांट (1.5 KWp X 03 No's & 03 KWp X 02 No's) के डिजाइन सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (DSITC) के लिए ई-निविदा।

Bill of Quantities

क्र.सं	विवरण	मात्रा	रेट (रु.) जीएसटी सहित	राशि (रु.) जीएसटी सहित
1	<p>1.5 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी आधारित हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। जैसा कि निविदा में निर्दिष्ट है दर/रेट सभी सामग्री के लिए लागू/शामिल होगा।</p> <p>ए) एसपीवी मॉड्यूल्स बी) सोलर हाइब्रिड इनवर्टर सी) एमपीपीटी बैटरी चार्जर डी) सोलर बैटरी – सं. 02 (180 AH, 12 V)- ई) एसपीवी माउटिंग स्ट्रक्चर एफ) बैटरी स्टेकिंग स्ट्रक्चर जी) केबल्स, तार, जंक्शन बॉक्स एच) एसी और डीसी दोनों एनर्जी मीटर आई) एसी/डीसी एमसीबी, सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, आदि जे) अर्थिंग, लाइटिंग प्रोटेक्टर, आदि के) एक समग्र ऑपरेशनल सिस्टम प्रदान करने के लिए निविदा में परिभाषित सिविल कार्यों के लिए सामग्री की आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था व प्रशिक्षण शामिल होगा। दर में जीएसटी सहित सभी कर, ड्यूटी, लेवी, बीमा और परिवहन लागत शामिल होगी।</p> <p>राशि शब्दों में (_____)</p>	03 सेट/ set.		

	<p>03 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी आधारित हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। जैसा कि निविदा में निर्दिष्ट है दर/रेट सभी सामग्री के लिए लागू/शामिल होगा।</p> <p>ए) एसपीवी मॉड्यूल्स बी) सोलर हाइब्रिड इनवर्टर सी) एमपीपीटी बैटरी चार्जर डी) सोलर बैटरी – सं. 04 nos. (180 AH, 12 V) ई) एसपीवी माउटिंग स्ट्रॉकचर एफ) बैटरी स्टैकिंग स्ट्रॉकचर जी) केबल्स, तार, जंक्शन बॉक्स एच) एसी और डीसी दोनों एनर्जी मीटर आई) एसी/डीसी एमसीबी, सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट, आदि जे) अर्थिंग, लाइटिंग प्रोटेक्टर, आदि के) एक समग्र ऑपरेशनल सिस्टम प्रदान करने के लिए निविदा में परिभाषित सिविल कार्यों के लिए सामग्री की आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था व प्रशिक्षण शामिल होगा। दर में जीएसटी सहित सभी कर, ड्यूटी, लेवी, बीमा और परिवहन लागत शामिल होगी। राशि शब्दों में (_____)</p>	02 सेट/ set.	
2	<p>3 सभी करों सहित उपकरण की कुल पूँजीगत लागत। (ए)</p> <p>राशि शब्दों में (_____)</p>		
4	<p>पीवी सेल, पीसीयू आदि की आवधिक सफाई के लिए मुख्य अनुबंध के तहत प्रदान की गई संपूर्ण प्रणाली के व्यापक वार्षिक रखरखाव शुल्क की दर, सभी पुर्जों, समस्या निवारण, रूटिंग, निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव आदि के लिए उपभोग्य सामग्रियों सहित प्रतिवद्ध न्यूनतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उचित इंजीनियरिंग एक्सरसाइज़, अनुशंसा (अनुशांओं) के अनुसार संबंधित उपकरण निर्माता (निर्माताओं) और स्वीकार्य कार्यात्मक और सेवा योग्य स्थिति में सिस्टम (सिस्टमों) को बनाए रखने के लिए प्रभारी अभियंता के निर्देश आदि के अनुसार निर्दिष्ट और उसके दायरे के अनुसार निविदा के भाग-1 में निर्धारित कार्य हेतु रेट लागू होगा। एएमसी की दरें बैटरियों के प्रतिस्थापन को छोड़कर हैं। दर में जीएसटी सहित सभी लागू वैधानिक कर, शुल्क, लेवी, बीमा, परिवहन आदि शामिल होंगे। "बी"</p> <p>राशि शब्दों में (_____)</p>	प्रति वर्ष	

सिस्टम की निवल स्वामित्व लागत = ए + (बी X 7.0476)

(एमएफ 10 साल के लिए एनपीवी फैक्टर है (01 साल की वारंटी + 09 साल की एएमसी) = 7.0476MF

नोट:

1. यदि फर्म ने CAMC राशि को पूंजीगत लागत के 04% से कम उद्धृत किया है, तो TCO अथवा सबसे कम बोली लगाने वाले की गणना के लिए, CAMC को उद्धृत पूंजी लागत का न्यूनतम 05% माना जाएगा।
2. बैटरी निर्माता द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के बावजूद, बैटरियों के लिए वारंटी प्रतिस्थापन के आधार पर 05 वर्षों के लिए है। फर्मों को कार्य की लागत कोट करते समय इसे ध्यान में रखना होगा।

मुहर सहित ठेकेदार का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक: